10

foojf.k;k¡

[RETURNS]

संक्षिप्तता हेतु निविष्ट कर जमा शब्द को इस अध्याय में ITC के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अध्याय में निर्दिष्ट धारा संख्याएँ CGST अधिनियम से सम्बन्धित हैं जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

lh[kus dk ifj.kke (Learning Outcomes)
;g v/;k; vkidks fuEu esa leFkZ cuk,xk %
❑ एक पंजीकृत करदाता द्वारा जमा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के विवरणों एवं विवरणी का सूचीकरण।
❑ विभिन्न विवरणों/विवरणी को जमा करने के योग्य व्यक्तियों की पहचान करना तथा उनके लिए निर्दिष्ट प्रपत्रों का अभिज्ञान एवं इस प्रकार के विवरणों/विवरणी को जमा करने हेतु आवधिकता स्पष्ट करना।
❑ विवरणी जमा करने में चूक की स्थिति में परिणामों को समझना।
❑ समस्या का समाधान करने में उपर्युक्त अवधारणाओं का प्रयोग।
❑ GST पेशेवर से सम्बन्धित प्रावधानों का स्पष्टीकरण

© The Institute of Chartered Accountants of India

अध्याय अवलोकन ☞

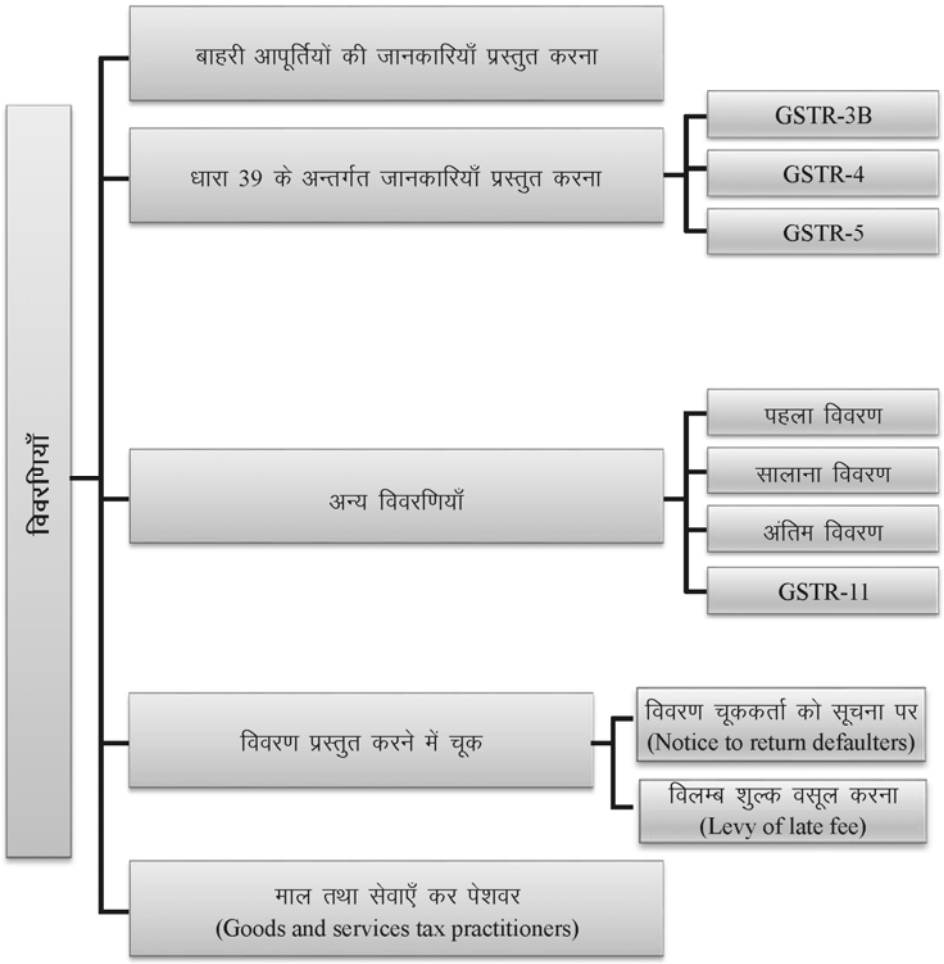

© The Institute of Chartered Accountants of India

1. ifjp; (Introduction)

"विवरणी" शब्द का सामान्य रूप से आशय कर दाता द्वारा कर प्रशासकों को नियमित अन्तरालों पर जमा किये गए सूचना (तथ्यों) के विवरण से होता है। विवरणी में प्रस्तुत की जाने वाली सूचना में सामान्यतः कराधान के विषय–वस्तु को बनाने वाले व्यावसायिक संचालनों/गतिविधियों की प्रकृति, कराधान के मूल्यांकन जैसे कि विक्रय मूल्य, कुल बिक्री या कीमत कटौतियाँ एवं छूटों एवं एक दी हुई अवधि हेतु कर दायित्व के निर्धारण व चुकौती से सम्बन्धित विवरण शामिल होते हैं।

किसी भी कर अधिनियम में, "विवरणियों का जमा करना" सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुपालन कार्यप्रणाली को संगठित करता है, जो सरकार/कर प्रशासकों को एक विशिष्ट अवधि हेतु कर संग्रहण का अनुमान लगाने एवं करदाताओं के कर अनुपालन की शुद्धता एवं पूर्णता को निर्धारित करने के योग्य बनाता है।

foojf.k;k fuEu mí';k gr ifr djrk g %

(a) कर प्रशासन को सूचना के हस्तांतरण की विधि

(b) कर प्रशासन का अनुपालन प्रमाणीकरण कार्यक्रम,

(c) परिसीमा की नियत अवधि के अन्तर्गत करदाताओं के कर दायित्वों का निश्चयीकरण,

(d) नीति निर्णय, लेने हेतु आवश्यक निविष्टियाँ प्रदान करना

(e) अंकेक्षण एवं कर प्रशासन के करवंचनरोधी कार्यक्रमों का प्रबन्धन

करदाता को सामान्यतःविवरणी को एक विशिष्ट वैधानिक प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इसलिए ये प्रारूप अधिनियम के उन सभी प्रावधानों की देखभाल करने हेतु रूपांकित किये जाते हैं जिनका एक करदाता के कर दायित्व की गणना से सम्बन्ध होता है। इसलिए कर अधिनियम के यथोचित समरूपी प्रावधानों की तुलना में विवरणी के फार्म में शामिल विभिन्न क्षेत्रों का एक अध्ययन कर अधिनियम की सम्पूर्ण समझ की सुविधा एक बेहतर विधि से प्रदान कर सकता है।

GST विवरणियों का जमा करना विवरणी जमाकर्ता के कर दायित्व के निर्धारण में सहायक होता है एवं उसी समय पर उन अन्य व्यक्तियों के कर दायित्व के निर्धारण से भी इसका बड़ा सम्बन्ध होता है, जिनके साथ पहले व्यक्ति ने कर योग्य गतिविधियों में प्रवेश किया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

GST नियमों के अन्तर्गत विवरणियों शुद्ध एवं सामयिक जमा करना दो कारणों के कारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। प्रथम, GST नियमों के अन्तर्गत, एक करदाता को "स्वयं–निर्धारण" आधार पर अपने कर दायित्व का अनुमान लगाना आवश्यक होता है एवं इस प्रकार के विवरणी को जमा करने के साथ। पूर्व कर की राशि को जमा करना आवश्यक होता है। इसलिए, विवरणी में कर प्राधिकारियों हेतु कार्यकारी कागज/पुष्टिकारक दस्तावेज का एक प्रकार संगठित होता है, जिस पर उस आधार के रूप में भरोसा किया जा सकता है जिस पर करदाता द्वारा कर की गणना की गयी हो। द्वितीय GST प्रशासन के अन्तर्गत विवरणियों का जमा करना न सिर्फ जमा करने वाले व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करता है, अपितु अन्य व्यक्तियों के कर दायित्व के निर्धारण से भी इसका बड़ा सम्बन्ध होता है जिनके साथ पहले व्यक्ति ने कर योग्य गतिविधियों में प्रवेश किया है।

GST अधिनियम का अध्याय IX [धाराएँ 37 से 48] विवरणियों को जमा करने से सम्बन्धित प्रावधानों को निम्न प्रकार निर्दिष्ट करता है :

धारा 37	जावक पूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करना
धारा 38	आवक पूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करना
धारा 39	विवरणियों को प्रस्तुत करना
धारा 40	प्रथम विवरणी
धारा 41	निविष्टि कर जमा के दावे एवं उनकी अस्थायी स्वीकृति
धारा 42	निविष्टि कर जमा का मिलान, उलटाव एवं पुनःदावा
धारा 43	निर्गम कर दायित्व में कमी का मिलान उलटाव एवं पुनःदावा
धारा 44	वार्षिक विवरणी
धारा 45	अन्तिम विवरणी
धारा 46	विवरणी चूककर्ताओं को चेतावनी
धारा 47	विलम्ब शुल्क लगाना
धारा 48	माल एवं सेवा कर पेशेवर

प्रारूप एवं विधि से सम्बन्धित प्रावधान जिनमें सूचना विवरणियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है, (GST नियमों के अध्याय VIII के अन्तर्गत दिये गए हैं (नियम 59-84) राज्य GST नियम भी विवरणियों के जमा करने के सम्बन्ध में समान प्रावधान निर्दिष्ट करते हैं।

CGST vf/kfu;e d vUrxZr] foyEc 'kYd d vykok] foojf.k;k d iko/kku **IGST** vf/kfu;e dh /kkjk **20** }kjk **IGST** vf/kfu;e ij Hkh ykx fd;s x, gA

gkykfd] fooj.k tek dju dh fof/k vHkh fujh{k.k e g rFkk vHkh i.k ugh gbZ gA **GST** yxu d 'k:vkrh eghuk e 0;kikjk }kjk foojf.k;k vkluh ls tek dju gr tykbZ **2017** e] ljy fd;k gvk ekfld fooj.k Qke **GSTR 3**ch ykx gvkA ;g **GSTR-**

© The Institute of Chartered Accountants of India

1, 2 rFkk **3** dh foojf.k;k tek dju d lkFk vuqlj.k fd;k x;k FkkA bld vfrfjDr] NkVs djnkrkvksa dh vuqikyu vko';drk,a **(compliance requirements)** vklku dju d fy, **GST** lfefr us ₹ **1.5** djksM rd dh lykuk dyy fcØh d djnkrkvksa dk viuh ckgjh vkifr;ksa dh tkudkfj;k =ekfld **(quarterly)** vk/kkj ij rFkk ₹ **1.5** djksM ls T;knk dyy lykuk fcØh d dj nkrkvksa dk ekfld vk/kkj ij QkeZ **GSTR-1** e tek dju dh vuefr nh gSA **GST** lfefr us fcØh dk /;ku e us j[kr gq,] lk/kkj.k dj nkrkvksa d fy, QkeZ **GSTR-2** ¼Hkkrjh vkifr;ksa dh tkudkfj;k½ rFkk **GSTR-3** ¼ekfld fooj.k½ dh tek frfFk dk LFkkfxr dju d fy, vuq'kflr **(recommended)** fd;k gS tc rd bl lEcfU/kr dkbZ vfrfjDr ?kks"k.kk ugh gksrhA

fooj.k fof/k vHkh rd l\;ofLFkr ugh gqbZ gS rFkk **GST** lfefr us **GSTR-3**ch tek dju dh ekx ekpZ **2019** d vUr rd c<k nh gSA vUrr% bl v/;k; d vkxkeh i"Bks e ogh /kkjkvksa d iko/kku crk, x, gSa tks okLro e iHkkoh gSA

विवरण विधि को आसान करने से सम्बन्धित 21 जुलाई, 2018 को GST समिति की 28वीं बैठक में लिए हुए निर्णय पर आधारित CBIC ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। प्रेस विज्ञप्ति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं–

1. *छोटे करदाताओं तथा कुछ व्यक्ति को छोड़कर जैसे ISD सभी करदाता एक मासिक विवरण जमा करेंगे। विवरण दो मुख्य सूचियों के साथ आसान करी गई है। एक सूची बाहरी आपूर्तियों की सूचना देगी तथा दूसरी सूची आपूर्तिकर्ता द्वारा दिए गए चालान पर आधारित इनपुट कर जमा के लाभ की। चालान विक्रेता द्वारा लगातार डाले जा सकते हैं तथा क्रेता द्वारा लगातार देखे तथा बंद करे जा सकते हैं इनपुट कर जमा का लाभ प्राप्त करने के लिए। यह विधि निश्चित करती है कि विवरण का बड़ा हिस्सा क्रेता तथा विक्रेता द्वारा डाले गए चालान के आधार पर स्वतः भर जाता है। सीधे शब्दों में कहें, अधिकतर करदाताओं के लिए विधि "UPLOAD – LOCK – PAY" है।*

2. *की गई आपूर्ति तथा प्राप्त हुई आपूर्ति की प्रकृति के अनुसार करदाताओं को अपनी रूपरेखा (profile) बनाने की सुविधा दी गई है। विवरण को जमा करने के लिए जो जानकारियाँ करदाता को दिखानी हैं तथा उसके द्वारा भरी जानी है वह उसकी रूपरेखा पर निर्भर होगी।*

3. *NIL विवरण श्रेणी (न खरीद तथा न बिक्री) वालों को SMS द्वारा विवरण जमा करने की सुविधा दी गई है।*

4. *जिन करदाताओं की सालाना बिक्री ₹ 5 करोड़ से कम है उन्हें समिति द्वारा त्रैमासिक (quarterly) विवरण जमा करने ऐच्छिक सुविधा प्रदान की गई है। मासिक भुगतान सुविधा के साथ त्रैमासिक विवरण भी मुख्य विवरण के समान है 'परन्तु पंजीकृत छोटे व्यापारी जो सिर्फ B2C आपूर्ति कर रहे हैं या वह जो B2C तथा B2C आपूर्ति कर रहे हैं उन करदाताओं के लिए, सरल विवरणियाँ बनाई गई है 'सहज' (Sahaj) तथा 'सुगम' (Sugam) के नाम से। इन विवरणियों में सामान्य विवरणी की अपेक्षा कम जानकारी आवश्यक है।*

5. *नए विवरण का प्रारूप चालान तथा विवरण में दी गई अन्य जानकारियों में संशोधन करने की सुविधा प्रदान करता है। संशोधन करके जमा किए गए विवरण को संशोधन विवरण*

© The Institute of Chartered Accountants of India

(Amendment return) कहा जाता है। संशोधन विवरण द्वारा भुगतान की अनुमति दी गई है क्योंकि यह करदाताओं का ब्याज ऋण से बचाव करता है।

gkykfd] vHkh rd **(as on date)**[2], iwl foKfIr e mfYyf[kr u, ljy fooj.k fof/k **(simplified return process)** dk ykx ugh fd;k x;k gA vr% bl v/;k; e mUgh iko/kkuk dk fooj.k fd;k x;k g tk vHkh ykx gA og l'kk/ku tk fof/k dk yku d fy, dkuu e fd, tk,x o tkjh gku ij o/kkfud l/kkj e fn, tk,xA

GST fu;ek d vUrxr lHkh foojf.k;k byDVkfud rjhd l tek dh tkrh gA

करदाता विभिन्न विधियों द्वारा विवरणों एवं विवरणियों को जमा कर सकते हैं। प्रथम रूप से वे अपने विवरण एवं विवरणियाँ प्रत्यक्ष रूप से GST सामान्य पोर्टल पर ऑनलाइन जमाकर सकते हैं। हालाँकि, यह अधिक संख्या के बीजकों वाले करदाताओं हेतु मन्द या समय लेने वाला हो सकता है। इस प्रकार के करदाताओं हेतु GSTN द्वारा ऑफलाइन सेवाएँ प्रदान की गई हैं जो सामान्य पोर्टल पर स्वयं संगठित विवरण अधोभारण एवं उभ्दारण करने के पश्चात ऑफलाइन विवरणों को तैयार करने हेतु प्रयुक्त की जा सकती है। GSTN ने GST सुविधा प्रदान करने वाला (GSP) एक परितंत्र भी विकसित किया है, जो सामान्य पोर्टल के साथ संघटित होगा।

विवरिणयों के प्रारूप में करदाता द्वारा प्रस्तुत किये गए विवरण सामान्य पोर्टल पर समेकित एवं संग्रहीत किये जाएंगे जो दोनों के लिए सामान्य होंगे अर्थात् केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारें।

2. mi;Dr ifjHkk"kk,a (Relevant Definitions)

- lkekU; ikVZy–का आशय धारा 146 में उल्लिखित सामान्य माल एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल से है [धारा 2 (26)]।
- tek i=&का आशय धारा 34 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निर्गमित किये गए दस्तावेज से है [धारा 2 (37)]

[1] प्रेस विज्ञप्ति का उद्देश्य पूर्णतः विद्यार्थियों को प्रस्तावित विधि से अवगत कराना है।

[2] वह तारीख जिस दिन अध्ययन सामग्री छपाई के लिए प्रकाशित की गई हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- uke i=&का आशय धारा 34 की उप–धारा (3) के अन्तर्गत एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा निर्गमित एक दस्तावेज से है [धारा 2 (38)]
- byDVkfud udn [kkrk–का आशय धारा 49 की उप–धारा (1) में उल्लिखित इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते से है। [धारा 2 (43)]
- byDVkfud tek [kkrk–का आशय धारा 49 की उप–धारा (2) में परिभाषित इलेक्ट्रॉनिक जमा खाते से है। [धारा 2 (46)]
- vkifr NwV–का आशय किन्हीं माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से है, जो कर की शून्य दर को आकर्षित करती है या जो धारा 11 के अन्तर्गत कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो सकती है या संकलित माल व सेवा कर अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत कर से पूर्ण रूप से छूट प्राप्त हो सकती है, एवं गैर–कर योग्य आपूर्ति शामिल होती है [धारा 2 (47)]।
- eky ,oa lsok dj i'kqYd का आशय किसी व्यक्ति से है जो धारा 48 के अन्तर्गत इस प्रकार के पेशेवर के रूप में कार्य करने हेतु स्वीकृत हो [धारा 2 (55)]।
- pkyku ;k dj pkyku–का आशय धारा 31 में परिभाषित कर चालान से है [धारा 66]।
- vkod vkifr का एक व्यक्ति के सम्बन्ध में माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति से आशय होगा चाहे क्रय द्वारा, अधिग्रहण या किसी अन्य माध्यम से प्रतिफल सहित या रहित [धारा 2(67)]।
- अनिवासी करयोग्य व्यक्ति–का आशय किसी व्यक्ति से है जो कभी–कभी माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को शामिल किये हुए सौदों को प्रारम्भ करता है चाहे एक मुख्य व्यक्ति या अभिकर्ता या किसी अन्य योग्यता में लेकिन जिसका भारत में व्यवसाय या निवास का कोई निर्धारित स्थान न हो [धारा 2 (77)]।
- tkod vkifr–का एक कर योग्य व्यक्ति के सम्बन्ध में माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति से आशय है, चाहे विक्रय, हस्तांतरण प्रतिदान, विनियम अनुज्ञापत्र, किराया, पट्टा या समापन या किसी अन्य विधि से हो, इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा व्यवसाय को कार्य प्रणाली में या प्रोत्साहन में किया गया या किये जाने हेतु सहमत [धारा 2(83)]।
- fufn"V–का आशय परिषद की अनुशंसाओं पर इस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गए नियमों द्वारा निर्दिष्ट से होता है। [धारा 2 (87)]
- mfpr vQlj–का इस अधिनियम के अन्तर्गत सम्पादित किये जाने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में, केन्द्रीय कर के कमिश्नर या अफसर से आशय होता है, जिसे वह कार्य मण्डल में कमिश्नर द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। [धारा 2(91)]।
- frekgh–का आशय एक पंचांग वर्ष के मार्च, जून, सितम्बर एवं दिसम्बर के अन्तिम दिन पर समाप्त होने वाले तीन क्रमागत पंचांग महीनों को समाविष्ट किये हुए एक अवधि से होगा [धारा 2(92)]।
- izkid–माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्रापक का आशय है–
  - जहाँ एक प्रतिफल माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति हेतु देय होता है, वह व्यक्ति जो उस प्रतिफल के भुगतान हेतु उत्तरदायी होता है,

© The Institute of Chartered Accountants of India

- जहाँ माल की आपूर्ति हेतु कोई प्रतिफल देय नहीं होता है, तो वह व्यक्ति जिसे माल का वितरण किया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, या जिसे माल के प्रयोग का आधिपत्य दिया जाता है या उपलब्ध कराया जाता है, एवं
- जहाँ एक सेवा की आपूर्ति हेतु कोई प्रतिफल देय नहीं होता है, तो वह व्यक्ति जिसे सेवा सम्पादित की जाती है एवं उस व्यक्ति का कोई सन्दर्भ जिसे आपूर्ति की गई है, आपूर्ति के प्रापक के एक सन्दर्भ के रूप में समझा जाएगा एवं उसमें एक अभिकर्ता शामिल होगा जो माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रापक की ओर से इस प्रकार कार्य करेगा [धारा 2 (93)]।

- ➢ i:thÑr 0;fDr–का आशय एक व्यक्ति से होता है, जो धारा 25 के अन्तर्गत पंजीकृत होता है, लेकिन एक विशिष्ट अभिज्ञान संख्या वाला एक व्यक्ति शामिल नहीं होता है [धारा 2(94)]।
- ➢ fooj.kh–का आशय इस अधिनियम के अन्तर्गत या उसके अन्तर्गत बनाये नियमों के अन्तर्गत निर्दिष्ट या अन्यथा प्रस्तुत किये जाने हेतु आवश्यक किसी विवरणी से होता है [धारा 2 (97)]।
- ➢ foijhr i:Hkkj–का आशय संकलित माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अन्तर्गत , या धारा 9 की उप–धारा (3) या उप–धारा (4) के अन्तर्गत माल या सेवाओं या दोनों के विक्रेता के बजाय माल या सेवाओं या दोनों के आपूर्ति के प्रापक द्वारा कर भुगतान करने के दायित्व से है [धारा 2 (98)]।
- ➢ foØrk–का आशय किसी माल या सेवाओं या दोनों के सम्बन्ध में कथित माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करने वाले व्यक्ति से होगा एवं माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सम्बन्ध में इस प्रकार के विक्रेता की ओर से कार्य करने वाला एक अभिकर्ता शामिल होगा [धारा 2 (105)]
- ➢ dj vof/k–का आशय उस अवधि से है जिसके लिए विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। [धारा 106]
- ➢ dj ;kX; 0;fDr–का आशय एक व्यक्ति से है जो धारा 22 या धारा 24 के अंतर्गत पंजीकृत या पंजीकृत हेतु उत्तरदायी होता है [धारा 2 (107)]।
- ➢ dj ;kX; vkiwfrZ–का आशय माल या सेवाओ या दोनों की एक आपूर्ति से होता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत कर लगाने योग्य होती है [धारा 2 (108)]।
- ➢ fof/kekU; fooj.kh–का आशय धारा 39 की उप–धारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की गई एक विवरणी से होता है जिस पर स्वयं–निर्धारित कर सम्पूर्णता में भुगतान किया होता है [धारा 2 (117)]।

3. tkod iwfrZ;ksa ds fooj.k izLrqr djuk [/kkjk **37 CGST** fu;eksa ds fu;e **59** ds lkFk i<s] [Furnishing Details of Outword Supplies (Section 37 Read with Rule 59 of CGST Rules)]

(i) tkod iwfrZ;ksa ds fooj.k fdl dh }kjk izLrqr fd;k tkuk vko';d gS \

© The Institute of Chartered Accountants of India

माल एवं सेवाओं दोनों की जावक पूर्तियों (परिभाषा देखें) के विवरण आकस्मिक पंजीकृत व्यक्ति सहित प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं, निम्न को छोड़कर :

- ❖ निविष्ट सेवा वितरक (ISD)
- ❖ अनिवासी कराधीन व्यक्ति
- ❖ संघटन योजना के अंतर्गत कर भुगतान करने वाला व्यक्ति
- ❖ स्रोत पर कर कटौती करने वाला व्यक्ति
- ❖ स्रोत पर कर संग्रहीत करने वाला व्यक्ति अर्थात ई–वाणिज्य संचालक (Eco) एक अभिकर्ता नहीं
- ❖ ऑनलाइन सूचना एवं आँकड़ा संचय पहुँच या क्षतिपूर्ति सेवाओं का एक पूर्तिकर्ता (OIDAR)

fVi.kh : एक निविष्ट सेवा वितरक, स्रोत पर कर कटौती करने वाला एक व्यक्ति, स्रोत पर कर संग्रहीत करने वाले एक व्यक्ति एवं ऑनलाइन सूचना एवं आँकड़ा संचय पहुँच या क्षतिपूर्ति सेवाओं (OIDAR) के एक पूर्तिकर्ता द्वारा विवरणियों के जमा करने हेतु प्रावधान फाइनल स्तर पर चर्चित होंगे।

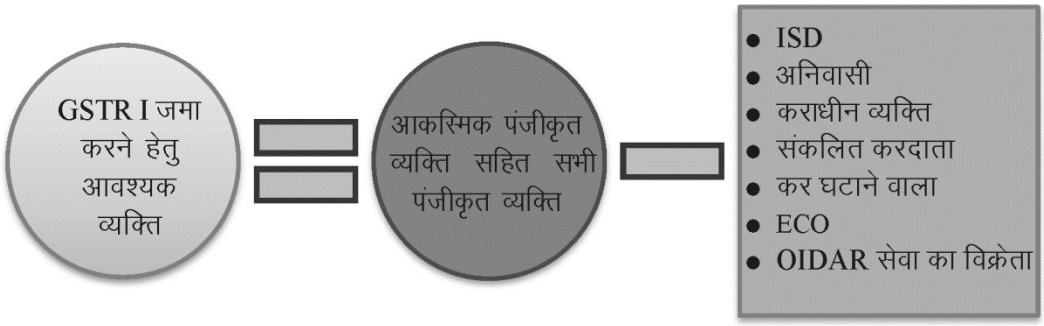

(ii) tkod ikr;k d fooj.k d tek gr D;k ik: i g\

जावक पूर्तियों के विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से फार्म GSTR-1 में प्रस्तुत किये जाने आवश्यक हैं। इस प्रकार के विवरण या तो प्रत्यक्ष रूप से या एक अधिसूचित सुविधा केन्द्र से सामान्य पोर्टल द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(iii) GSTR-1 d tek dju dh n; frfFk D;k g\

एक विशिष्ट महीने हेतु GSTR-1 तत्काल उत्तरगामी महीने के 10वें दिन पर या उससे पूर्व जमा की जाती है। अन्य शब्दों में, एक महीने की GSTR-1 उत्तरगामी महीने के 1वें एवं 10 वें दिन के मध्य किसी भी समय जमा की जा सकती है। यह ध्यान देना होगा कि GSTR-1 कर अवधि के उत्तरगामी महीने के 11वें दिन से 15वें दिन की अवधि के दौरान जमा नहीं की जा सकती।

© The Institute of Chartered Accountants of India

NkVs djnkrkvksa dh vuikyu vko';drk **(compliance requirement)** vklku djus ds fy, xr foÙkh; o"kZ ;k orZeku foÙkh; o"kZ esa ₹ **1.5** djksM+ rd dh dqy lkykuk fcØh ds NkVs djnkrkvksa dks **GSTR-1** =sekfld Hkju ls vuqefr nh xbZ gSA vc rd ;g lqfo/kk tuojh&ekpZ **2019** frekgh rd gh nh xbZ gSA gkykafd ₹ **1.5** djksM+ ls T;knk dqy lkykuk fcØh ds djnkrk ekfld vk/kkj ij **GSTR-1** Hkjsxs A **[**vf/klwpuk l[;k **57 & 58/2017 CT** rkjh[k **15.11.2017, 71 & 72/2017 CT** rkjh[k **29.12.2017, 17 & 18/2017 CT** rkjh[k **28.03.2018, 32 & 33/2017 CT** rkjh[k **10.08.2018]**

GSTR-1 जमा करने की देय तिथि राज्य GST के कमिश्नर/कमिश्नर/ UTGST के कमिश्नर द्वारा कराधीन व्यक्तियों की एक श्रेणी हेतु एक अधिसूचना के माध्यम से बढ़ायी जा सकती है।

,d djnkrk orZeku dj vof/k dh lekfIr ls iwoZ **GSTR-1** tek ugha dj ldrkA

gkykafd] bl fu;e ds fuEu vioknksa ds %

(a) vfu;fer djnkrk] mudh 0;olk; dh lekfIr ds i'pkr

(b) ,d lkekU; djnkrk ds **GSTIN** dk fuLrkj.k

,d djnkrk ftlus iathdj.k ds fuLrkj.k gsrq vkosnu fd;k gS] mlls vkosnu i= dh izkfIr ds i"Vhdj.k ds i'pkr **GSTR-1** tek djus gsrq vuqefr nh tk,xhA

उदाहरण

अक्टूबर के महीने से सम्बन्धित जावक पूर्तियों के विवरण 10 नवम्बर पर या उसके पूर्व प्रस्तुत किये जाने आवश्यक होंगे तथा अक्टूबर हेतु GSTR-1 11नवम्बर से 15 नवम्बर के मध्य जमा नहीं की जा सकती।

(iv) **GSTR–1** dh fo"k; oLrq D;k gS\

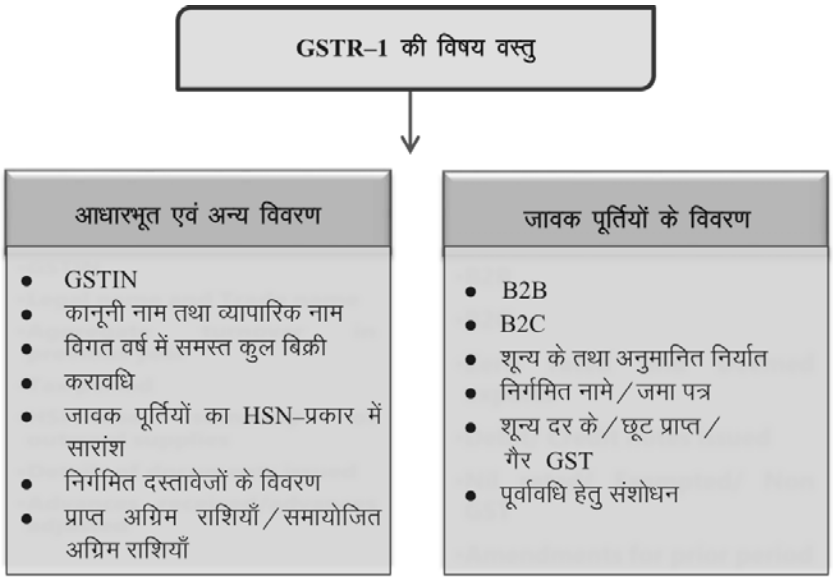

© The Institute of Chartered Accountants of India

GST xr0; vk/kkfjr mi Hkkx dj g blfy, dj vk; dk ml jkT; e LFkkukrfjr fd;k tkrk g] tk fof'k"V lkn dh vkifr[2] dk LFkku gkA D;kfd] dj vk; e iR;d jkT; dk fgLlk fu/kkfjr dju gr vkifr dk LFkku dfBu gkrk g] GSTR–1 yxHkx lHkh lkjf.k;k e vkifr d LFkku l lEcfU?kr lpuk Hkh vf/kÑr djrh gA

(v) fdl idkj dh tkod ikr;k d fooj.k **GSTR-1** e iLr fd; tku vko';d g\ **[CGST** fu;ek d fu;e **59 (2)** d lkFk i<u ij /kkjk **37** dk Li"Vhdj.k]

पंजीकृत व्यक्ति को चालानों के विवरण एवं एक महीने के दौरान पंजीकृत एवं अपंजीकृत व्यक्तियों को उसके द्वारा की गई पूर्तियों के सम्बन्ध में निर्गमित संशोधित चालान एवं GSTR-1 में जमा पत्रों एवं नामे पत्रों के विवरण निम्न विधि से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है :

Ø-l-	pkyku idkj e lHkh d fooj.k	lHkh d lefdr fooj.k	uke ,o tek i=
(i)	पंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्यीय एवं राज्यांतरिक पूर्तियाँ	कर की प्रत्येक दर हेतु अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई राज्यांतरिक पूर्तियाँ	पूर्व में निर्गमित चालानों हेतु महीने के दौरान निर्गमित
(ii)	₹ 2,50,000 से अधिक चालान कीमत वाले अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्यीय पूर्तियाँ	प्रत्येक राज्य हेतु पृथक रूप से कर की प्रत्येक दर हेतु ₹ 2,50,000 तक की चालान कीमत वाले अपंजीकृत व्यक्तियों को की गई अंतर्राज्यीय पूतियाँ	

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि चालानों का उद्धारण इस पर निर्भर करता है कि क्या आपूर्ति B2B या B2C है, साथ ही क्या आपूर्ति राज्यांतरिक है या अंतर्राज्यीय।

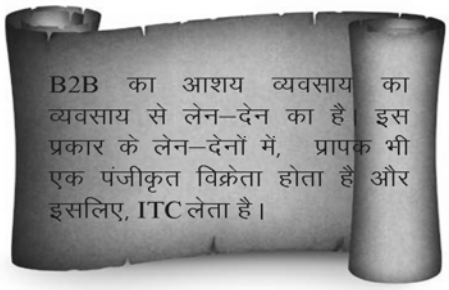

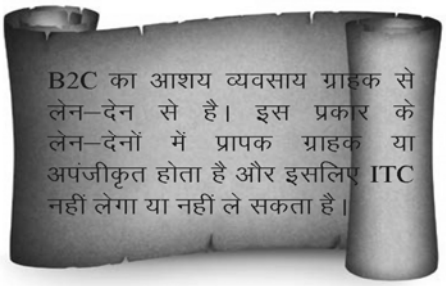

[2] माल की आपूर्ति का स्थान एवं सेवा की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने वाले सिद्धान्त IGST अधिनियम की धारा 10 एवं 12 में संलग्न हैं। ये अन्तिम स्तर पर चर्चित किए जाएंगे।

© The Institute of Chartered Accountants of India

B2B आपूर्तियों हेतु, सभी चालानों का उद्गारण करना होगा इस बात पर ध्यान दिए बिना कि क्या वे अंतर्राज्यीय आपूर्तियाँ हैं या राज्यांतरिक ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रापक ITC लेगा एवं इसलिए, चालान मिलान करना आवश्यक होता है। B2C आपूर्तियों हेतु, सामान्य में उद्गारण आवश्यक नहीं होगा क्योंकि क्रेता ITC नहीं ले रहा होगा। हालाँकि, फिर भी गंतव्य आधारित सिद्धान्त को कार्यान्वित करने के उद्देश्य हेतु अंतर्राज्यीय B2C आपूर्तियों में ₹ 2.5 लाख से अधिक कीमत के चालान उद्गारण करने होंगे। ₹ 2.5 लाख से नीचे के अंतर्राज्यीय चालानों हेतु, राज्य–प्रकार में सारांश पर्याप्त होंगे तथा सभी चालानों हेतु सिर्फ समेकित विवरण राज्यांतरिक दिये जाने होंगे।

चालानों को उद्गारण करने से सम्बन्धित प्रावधान आगामी पेज पर दिए गए एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट किये गये हैं।

चालानों को कर अवधि के दौरान किसी भी समय उद्गारण किया जा सकता है तथा न सिर्फ जमा करने के समय।

उदाहरण

अक्टूबर के महीने हेतु, करदाता 1 अक्टूबर से 10 नवम्बर तक चालानों को उद्गारण कर सकता है। GSTR-1 के विलंबित जमा करने की स्थिति में, चालानों को 15 नवम्बर के पश्चात उद्गारण किया जा सकता है।

चालानों को एक कर अवधि की GSTR-1 के जमा करने के समय तक कितनी भी बार परिवर्तित/विलोपित किया जा सकता है। उद्गारण चालान विवरण एक प्रारूप रूप में होते हैं, जब तक GSTR-1 को जमा किया जाता है तथा देय तिथि पर ध्यान दिए बिना परिवर्तित किए जा सकते हैं।

चालानों की क्रमवीक्षण प्रतियाँ उद्गारण करने की आवश्यकता नहीं होती है। चालानों से सिर्फ सूचना के विशिष्ट निर्दिष्ट क्षेत्रों का उद्गारण करना आवश्यक होता है जैसे कि चालान संख्या, तिथि, कीमत, कर योग्य कीमत, कर की दर, कर की राशि इत्यादि। यदि कोई प्रतिफल नहीं होता है, लेकिन गतिविधि CGST अधिनियम की अनुसूची के प्रभाव से एक आपूर्ति होती है, तो करयोग्य कीमत को निर्दिष्टानुसार सम्पन्न करना होगा तथा उद्गारण करना होगा।

चालान में प्रत्येक विषय का वर्णन उद्गारण नहीं होगा। माल की आपूर्ति के संदर्भ में सिर्फ HSN संकेतावली तथा सेवाओं की आपूर्ति के संदर्भ में लेखांकन संकेतावली की जाएगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

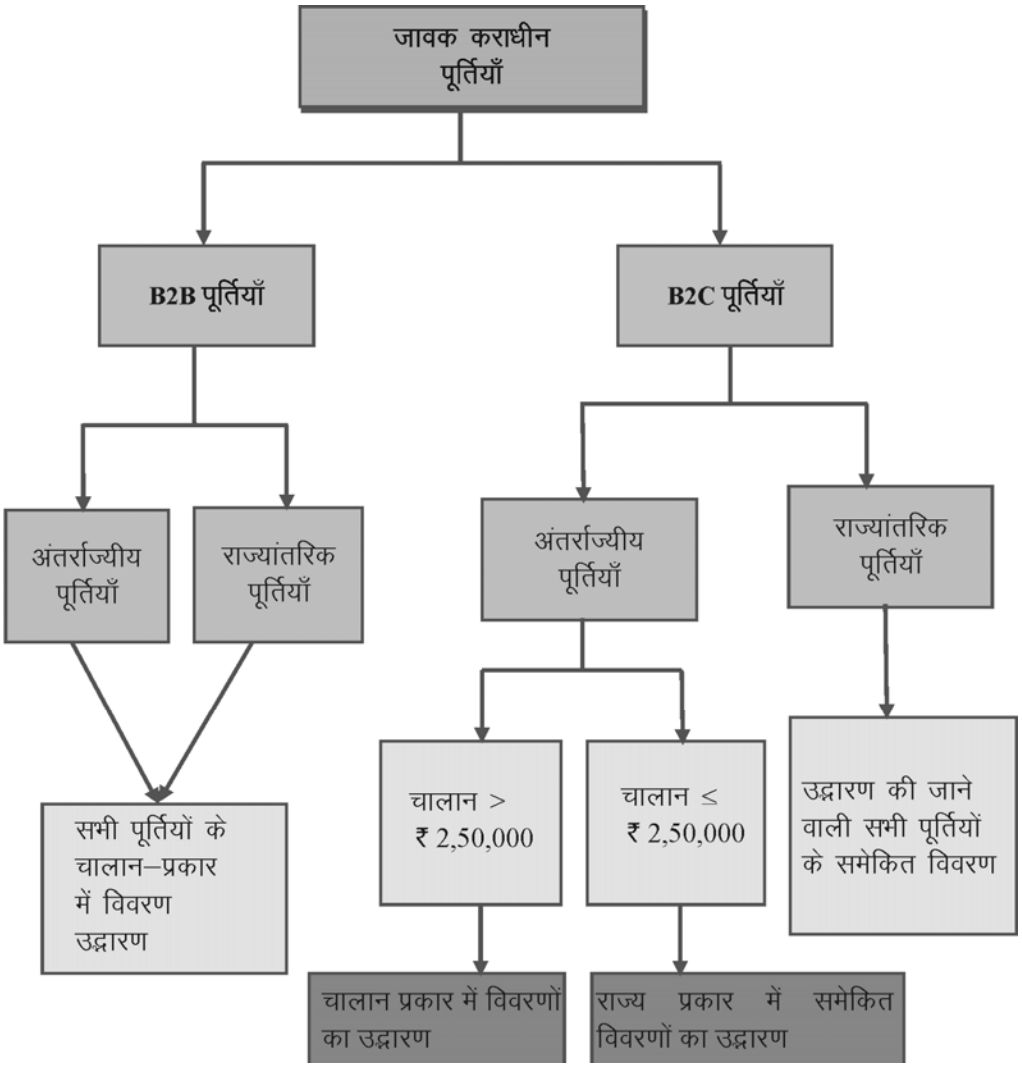

HSN fooj.kk dh lpuk

HSN संकेतावली के अंकों की न्यूनतम संख्या, जो एक जमाकर्ता को उद्गारण करनी होती है, विगत वर्ष में उसकी कुल बिक्री पर निर्भर करती है।

अधिसूचना संख्या 12/2017, CT 28.06.2017, जो इस सम्बन्ध में निर्गमित किया गया है, निम्न प्रकार प्रदान करता है :

iiol foÙkh; o"k e okE"kd dy fcØh	**HSN** ladrkoyh d vdk dh l[;k
₹ 1.5 करोड़ तक	शून्य
₹ 1.5 करोड़ से अधिक एवं ₹ 5 करोड़ तक	2
₹ 5 करोड़ से अधिक	4

© The Institute of Chartered Accountants of India

(vi) vkiÆr d iikid dk **GSTR-1** d fooj.kk dh lpuk

विक्रेता द्वारा एक महीने हेतु प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरण सम्बन्धित प्रापक (प्रापकों) को फार्म GSTR-2A फार्म GSTR-4A के भाग A में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराये जाते हैं एवं सूचित किये जाते हैं (संघटित करारोपण को चुनने वाले पंजीकृत व्यक्ति की स्थिति में) उत्तरगामी महीने के 10वें दिन के बाद सामान्य पोर्टल द्वारा (GSTR-1को जमा करने की देय तिथि)।

(vii) iokof/k;k e iLrr tkod ifr d fooj.k dl l'kkf/kr gkr g\ [/kkjk 37 (3)]

(a) l'kk/ku@l/kkj ifof"V;k dk dk;{k=

सारणियाँ 9, 10 एवं 11 (11) पूर्वावधियों में प्रस्तुत कराधीन जावक पूर्तियों के विवरणों में संशोधन हेतु प्रावधान करती है (इसके पश्चात् "संसोधन सारणी" के रूप में उल्लिखित) विक्रेता पूर्वावधियों हेतु उसके द्वारा जमा की गई GSTR–1 में प्रस्तुत विवरणों में संशोधन कर सकता है।

वर्तमान कर अवधि में करदाता द्वारा निर्गमित मूल नामे पत्रों/जमा पत्रों/वापसी रसीदों के विवरणों के साथ ही पूर्व कर अवधियों में निर्गमित नामे पत्रों/जमा पत्रों/वापसी रसीदों में संशोधन GSTR–1 की सारणी 9 में दर्शाना आवश्यक होता है।

साधारणः संशोधन सारणी में विक्रता को मूल चालान/संख्या एवं तिथि) के विवरण देना आवश्यक होता है। जिसके ब्यौरे पूर्व महीने में GSTR–1 में गलत तरीके से प्रतिष्ट हुए हैं और अब संशोधित किये जाने हैं। हालाँकि यह हो सकता है कि एक विक्रेता एक विशिष्ट महीने हेतु GSTR–1 प्रस्तुत करते समय सम्पूर्ण मूल चालान को शामिल करना पूर्ण रूप से भूल गया हो।

इस प्रकार की स्थितियों में भी, उसे कथित ना मौजूद चालान के विवरणों को दिखाना आवश्यक होगा, जो पूर्व महीने में सिर्फ संशोधन सारणी में निर्गमित किये गए थे, क्योंकि इस प्रकार की त्रुटियाँ भी आँकड़ा प्रविष्टि त्रुटि के रूप में मानी जाएँगी।

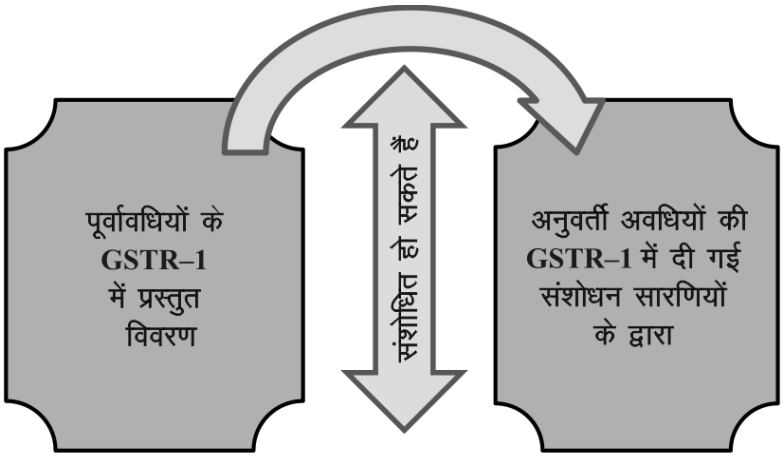

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) xyfr;k dk l/kkjuk (Rectification of Errors)

यदि आपूर्तिकर्ता कोई गलती या चूक खोजता है तब वह उस कर अवधि (tax period) में, जिसमें वह गलती या चूक देखी गई है उन्हें सुधारेगा तथा यदि उस स्थिति में कोई कम भुगतान हुआ है तब उस कर अवधि का विवरण जमा करते समय कर तथा ब्याज का भुगतान करेगा।

(c) l/kkj gsrq le; lhek

माना कुछ कारण हेतु, विक्रेता अक्टूबर, 2017 के महीने हेतु GSTR–1 कुछ को जमा करने के समय सुधार नहीं कर पाया, तो वह ये सुधार अनुवर्ती अवधियों में कर सकता है। हालाँकि, अधिकतम समय सीमा जिसके अन्तर्गत ये सुधार अनुज्ञेय हैं निम्न तिथियों की शीघ्रातिशीघ्र तिथि होती है :

- सितम्बर के महीने हेतु धारा 39 के अन्तर्गत मासिक विवरणी जमा करने की तिथि, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, जिससे ये विवरण सम्बन्धित हों या
- उपयुक्त वार्षिक विवरणी को जमा करने की तिथि।

उदाहरण

एक उद्यम ने वर्ष (X-Y) हेतु वार्षिक विवरणी 15 अगस्त, (Y-Z) को प्रस्तुत की। नवम्बर, (XY) से सम्बन्धित एक लेन–देन के सन्दर्भ में एक त्रुटि पता चली। उद्यम ने सितम्बर (Y-Z) के महीने हेतु विवरणी 20 अक्टूबर, (Y-Z) को जमा की। इस स्थिति में, नवम्बर, (X-Y) में लेन–देन से सम्बन्धित त्रुटि का सुधार 15 अगस्त, (Y-Z) के पश्चात् नहीं किया जा सकता।

यह ध्यान रखा जाए कि धारा 37(3) (GSTR-1) में संशोधन करते समय 'देय तिथि' का भाव अनुपस्थित है। अतः वह तिथि जमा करने की सही तिथि मानी जाएगी तथा देय तिथि नहीं।

- ☺ GSTR–1 जमा करने की आवश्यकता है भले ही कर अवधि में कोई व्यावसायिक गतिविधि (शून्य विवरणी) न हुई हो।
- ☺ वर्तमान मास हेतु GSTR–1 का जमा करना संभव है सिर्फ जब पूर्व मास हेतु GSTR–1 जमा हुई हो।
- ☺ GSTIN में ऐच्छिक निस्तारण हेतु चुनाव करने वाले करदाता को GSTR–1 क्रियाशील अवधि हेतु जमा करनी होगी।
- ☺ उन स्थितियों में जहाँ एक करदाता एक सामान्य करदाता से संघटित करदाता में परिवर्तित होता है, GSTR–1 सिर्फ उस अवधि हेतु जमा करने के लिए उपलब्ध होगी जिसके दौरान करदाता सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत हो। कथित अवधि हेतु GSTR-1, भले ही देरी से जमा हुई हो, परिवर्तन से पूर्व अवधि हेतु चालानों को स्वीकृत करेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

djnkrkvk }kjk }kjk **GST** dk ij'kkuh vuikyu d fy, D;k lko/kkfu;k j[kuh g\ (What are the precautions that a taxpayer is required to take for a hassle free compliance under GST ?

फार्म GSTR-1 में बाहरी आपूर्तियों की समय से जानकारियाँ भरना

GST में सबसे जरूरी काम अगले माह की 10 तारीख तक GSTR-1 में बाहरी आपूर्तियों की समय से जानकारियाँ देना है। यह कितने अच्छे से सुनिश्चित हो यह करदाता द्वारा जारी B2B चालानों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि संख्या कम है तो करदाता द्वारा सभी जानकारी एक बाद में ही दे दी जाएगी। हालाँकि, यदि चालानों की संख्या ज्यादा है तो चालानों (या नामे/जमा पत्रों) को नियमित आधार पर डाला जाना चाहिए।

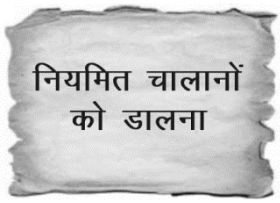
नियमित चालानों को डालना

GST कॉमन पोर्टल वास्तविक समय आधार (real time basis) पर भी नियमित चालानों को डालने की अनुमति देता है। व्यवस्था करदाता को डाले गए चालानों में बदलाव करने की भी अनुमति देती है जब तक की विवरण वास्तविक में प्रस्तुत न कर दिया जाए। अतः नियमित चालानों को डालना करदाताओं के लिए हमेशा लाभदायक होता है। आखिर समय की जल्दी भरती को मुश्किल करती है तथा नाकामयाबी और चूक की आशंका बढ़ा देती है।

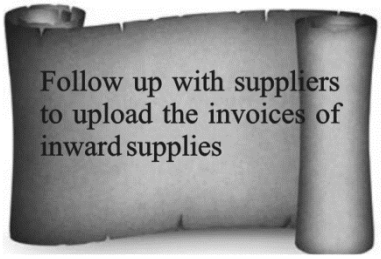

दूसरा विषय जो सुनिश्चित करना है वह यह है कि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भीतरी आपूर्तियों के चालानों की जमा क्रिया की जाँच करना। यह क्रिया ITC बिना तकलीफ तथा देरी किए प्राप्त करने में सहायक है। प्राप्तिकर्ता आपूर्तिकर्ताओं को नियमित रूप से चालान डालने को प्रोत्साहित करता है देय तिथि पर या उसके करीब करने के स्थान पर। यह व्यवस्था प्राप्तिकर्ताओं को उनके आपूर्तिकर्ताओं द्वारा भरे चालानों को देखने की अनुमति प्रदान करता है।

4. /kkjk **39** d vrxr foojf.k;k tek djuk (Furnishing of Returns Under Section 39)

(i) GSTR-3ch [CGST fu;ek dk fu;e **61(5)]**

धारा 39(1) फॉर्म GSTR-3 में मासिक विवरण को निर्धारित करता है हर पंजीकृत व्यक्ति के लिए जो इनपुट सेवा वितरण (input service distributor) या अनिवासी कर योग्य व्यक्ति (non-resident taxable person) या संयोजन करदाता (composition tax payer), सूत्र में कर काटने वाला व्यक्ति (person deducting tax at source), इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य चालक (electronic commerce operator) तथा OIDAR सेवाओं के आपूर्तिकर्ता को छोड़कर। GSTR-3 उपयुक्त उत्तरगामी पंचांग मास (succeeding relevant calendar month) या उसके भाग की 20 तारीख को भरा जाएगा। gkyk[fd] **GST** lfefr }kjk **GSTR-3** dh Hkjrh ekp **2019** rd foyfEcr dj nh xb g\A

© The Institute of Chartered Accountants of India

वर्तमान में, फॉर्म GSTR-3बी का विवरण GSTR-3 भरने वाले पंजीकृत व्यक्तियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस समय GSTR-3बी की प्रस्तुत देय तिथि उपयुक्त उत्तरगामी मास की 20 तारीख अधिसूचित की गई है।

GSTR-3बी एक आसान विवरण है जिसमें बाहरी आपूर्तियों, रिवर्स चार्ज आधीन भीतरी आपूर्तियों, योग्य ITC, कर भुगतान आदि की जानकारियों का सार सम्मिलित है।

GSTR-3बी का विस्तृत सारांश चित्र द्वारा अगले पृष्ठ में दिया गया है।

GSTR–3बी की विषय–सूची
(Contents of GSTR-3B)

↓

मौलिक जानकारियाँ (Basic Details)	आपूर्तियों से सम्बन्धित अन्य जानकारियाँ (Others details relating to supplies)
• GSTIN • पंजीकृत व्यक्ति का कानूनी नाम • कर अवधि	• बाहरी आपूर्तियाँ तथा रिवर्स चार्ज आधीन भीतरी आपूर्तियों की संक्षिप्त जानकारियाँ • अपंजीकृत व्यक्तियों, संयोजन करदाताओं तथा UIN धारकों को की गई अंतर्राज्यीय आपूर्तियों, की संक्षिप्त जानकारियाँ • Eligible ITC • छूट, शून्य (nil) दर तथा GST रहित भीतरी आपूर्तियों का मूल्य • कर का भुगतान • TDS/TCS जमा (credit)

(ii) l?kfVr foØ;rk }kjk foojf.k;k dk tek djuk ¼/kkjk **39 (2) CGST** fu;ek d fu;e **62** lfgr i<]

(a) fooj.kh tek dju ;kX; 0;fDr] vkof/kdrk ,o fooj.kh dk ik:i

धारा 10 के अन्तर्गत कर भुगतान करने वाला प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति अर्थात, संघटित विक्रेता सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो प्रत्यक्ष रूप से या एक अधिसूचित सुविधा केन्द्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में फॉर्म GSTR–04 में तिमाही विवरणी जमा करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(b) GSTR–4 tek djus dh n;; frfFk

GSTR–4 यथोचित तिमाही के अनुवर्ती महीने की 18 वीं तिथि तक प्रस्तुत की जानी चाहिए।

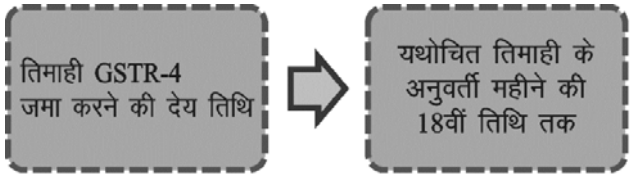

(c) vkod ifr;ksa dk Lo;a&lxg.k

GSTR–1 जमा करने वाले पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त एक संघटित विक्रेता की आवक पूर्तियाँ फॉर्म GSTR–4A में आवक संग्रहीत होंगी संघटित विक्रेता GSTR–4A में आवक पूर्तियों के स्वयं संग्रहीत विवरणों को देख सकता है। तथा जहाँ आवश्यक हो, विवरणों को जुड़ाव करने, शुद्ध करने या हटाने के पश्चात GSTR–4 को प्रस्तुत कर सकता है।

(d) GSTR–4 dh fo"k;&oLrq

GSTR–4 की विस्तृत विषय–वस्तु निम्न प्रकार दी गई है :

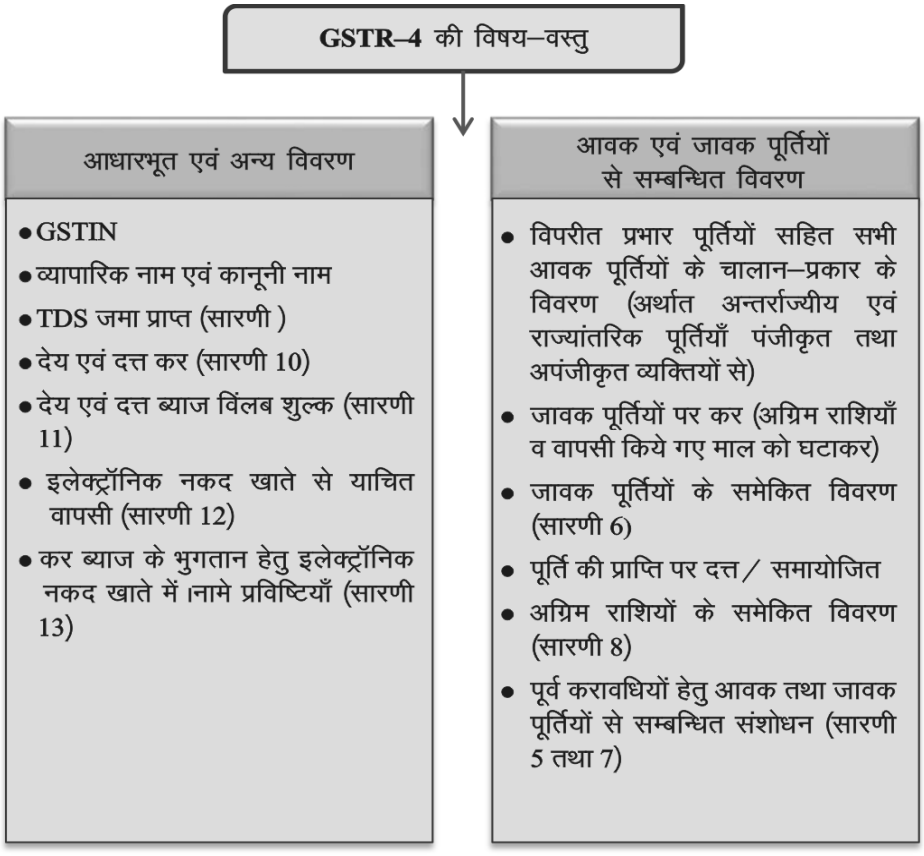

© The Institute of Chartered Accountants of India

- **tkod ifr;k d lefdr fooj.k**

  संघटित करदाता न तो किसी ITC हेतु और न ही अपने ग्राहकों पर लगने वाले संघटन के किसी जमा को हस्तांतरित करने पर अधिकृत होते हैं। (पंजीकृत/अपंजीकृत) इसलिए संघटित करदाताओं को GSTR–4 में जावक पूर्तियों के समेकित विवरणों को प्रदान करने की आवश्यकता होती है और न कि जावक पूर्तियों के चालान–भाँति विवरण।

- **doy jkT;krfjd ,o xj–GST tkod ifr;k d fooj.k**

  धारा 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो माल की अन्तर्राज्यीय जावक पूर्ति करता है या कोई व्यक्ति जो सेवाओं की पूर्ति में संलग्न होता है। (भोज्य पदार्थों की पूर्ति के अलावा) संघटन योजना हेतु योग्य नहीं होता है। इसलिए, विवरणी की सारणी 6 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने हेतु आवश्यक जावक पूर्ति विवरण सिर्फ राज्यांतरिक तथा गैर–GST पूर्तियों से सम्बन्धित हैं। 'जावक पूर्ति' पर देय संघटन राशि, इसलिए (GST तथा SGST को समाविष्ट करती है तथा कभी भी IGST राशि को संलग्न नहीं कर सकती।

- **pkyku idkj e vf/klfpr u fd, tku oky tkod ifr;k e l'kk/ku**

  यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि, पूर्व अवधि में प्रस्तुत जावक पूर्तियों के विवरणों से सम्बन्धित सुधार प्रविष्टियाँ किसी चालान का सन्दर्भ दिए बिना संशोधन सारणी (सारणी 7) में अधिसूचित करना आवश्यक होता है। हालाँकि उपयुक्त पूर्व तिमाही का उल्लेख करना आवश्यक होगा, जिसमें त्रुटि घटित हुई तथा सुधार हेतु ढूँढ़ी गई।

- **dj nkf;Ro**

  संघटित विक्रेता का कर दायित्व विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित होता है, अर्थात–पूर्व करावधियों हेतु देय कर एवं वर्तमान करावधि के अनुसार देय कर। क्योंकि एक संघटित विक्रेता ITC लेने हेतु योग्य नहीं होता है। वह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते के नामे करने के द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह करेगा।

(e) **l?kVd ;kstuk gr puko dju l io vof/k gr fooj.k@foojf.k;k**

यदि एक पंजीकृत व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष की शुरूआत में संघटक तिथि योजना हेतु चुनाव करता है, तो उसे जहाँ आवश्यक हो निम्न तिथि तक संघटक आरोपण हेतु चुनाव करने के पूर्व अवधि से सम्बन्धित GSTR–1,2 एवं 3 प्रस्तुत करनी होगी।

- अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के सितम्बर के महीने हेतु विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि, या
- पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करना, जो भी शीघ्र हो।

संघटित विक्रेता संघटन योजना हेतु अपने चुनाव करने से पूर्व अवधि हेतु विक्रेता से चालानों या नामे पत्रों की प्राप्ति पर ITC को प्राप्त करने के योग्य नहीं होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(f) l?kVu ;kstuk lsfudyus lsiwoZvof/k gsrq **GSTR–4**

अपनी स्वेच्छा से संघटन योजना से निकलने का चुनाव करने वाला एक पंजीकृत व्यक्ति, या जहाँ विकल्प उचित अफसर के आवश्यक करने पर हटाया जाता है। वह जहाँ आवश्यक हो, निम्न तिथि तक संघटक आरोपण से अपने निष्कासन के पूर्व अवधि से सम्बन्धित GSTR–4 को प्रस्तुत करेगा :

- अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के सितम्बर पर समाप्त होने वाले तिमाही हेतु विवरणी प्रस्तुत करने की देय तिथि, या
- पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करना,. जो भी शीघ्र हो

उपर्युक्त बिन्दुओं (e) एवं (f) में स्पष्ट किये गए प्रावधान आगामी पेज पर दिये गए चित्र के माध्यम से स्पष्ट किये गए हैं।

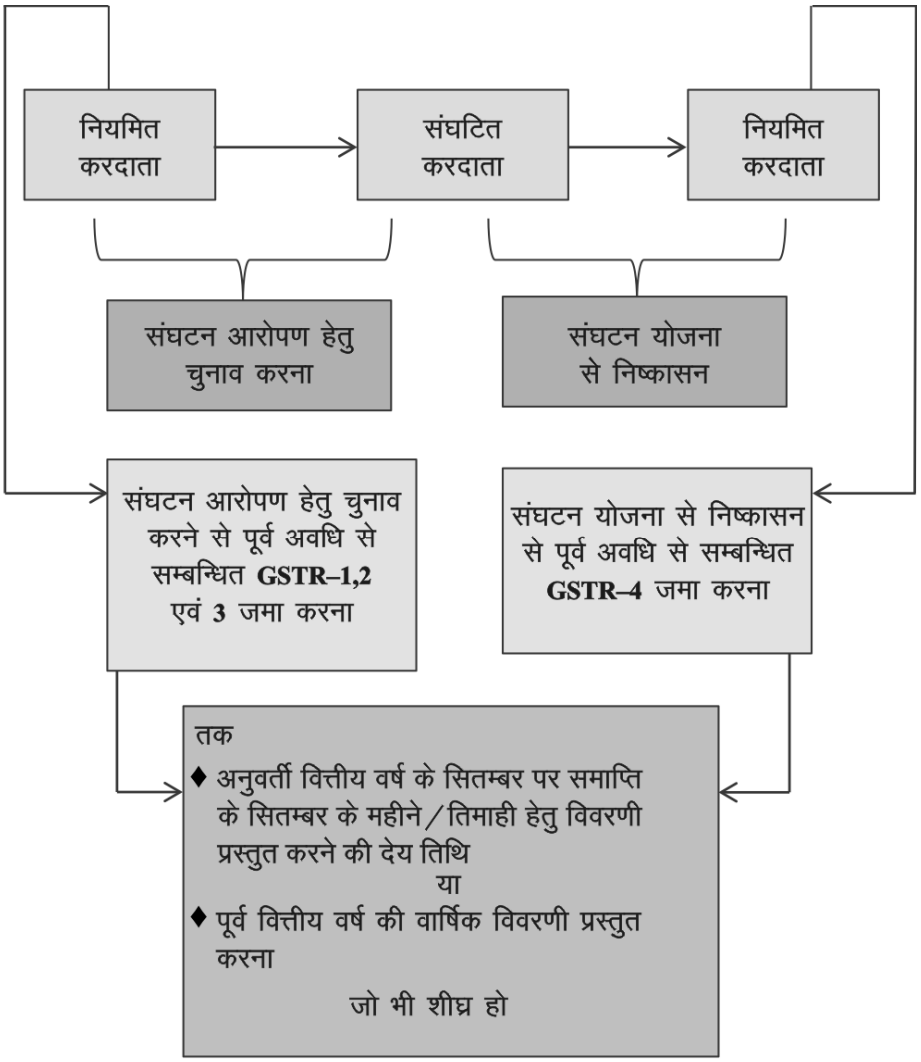

© The Institute of Chartered Accountants of India

/kkjk 29 (2) ds vu lkj] ,d mfpr vf/kdkjh djk/khu 0;fDr dk i thdj.k fuLrkfjr dju gr l'kDr gkrk g] ;fn %

(a) l?kVd ;k tuk ds vUrxr dj dk Hkxrku dju oky ,d 0;fDr u 3 Øekxr djkof/k;k gr viuh GSTR–4 iLr u dh gk ¼vFkkr 3 Øekxr frekgh½

(b) fdlh vU; djk/khu 0;fä u 6 eghuk dh Øekxr vof/k gr foojf.k;k iLr u dh gkA

(iii) vfuoklh djk/khu 0;fDr;k }kjk foojf.k;k dk tek djuk [/kkjk 39 (5) CGST fu;ek ds fu;e 63 lfgr i<] GSTR-5

अनिवासी कराधीन व्यक्ति (NRTPS) वे विक्रेता होते हैं, जिनका भारत में कोई व्यवसाय स्थापित नहीं होता है तथा जो भारत में एक सूक्ष्म अवधि हेतु पूर्तियाँ करने आते हैं। वे सामान्यतः अपने उत्पाद भारत में आयात करते हैं। एवं स्थानीय पूर्तियाँ करते हैं। अनिवासी कराधीन व्यक्ति की अवधारणा अध्याय 7–पंजीकरण में विस्तृत में वर्णित की गई है।

A. ekfld fooj.kh % एक पंजीकृत NRTP को जावक पूर्तियों के विवरण आवक पूर्तियों के विवरण पृथक रूप से तथा एक सामान्य करदाता हेतु विवरणी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसके स्थान पर प्रत्येक पंचांग मास या उसके भाग हेतु एक NRTP के लिए फार्म GSTR–5 में एक सरलीकृत मासिक कर विवरणी निर्दिष्ट की गई है। NTRP को जावक पूर्तियों एवं आवक पूर्तियों से सम्बन्धित विवरण GSTR–5 में शामिल करने चाहिए।

B. fooj.kh tek dju dh vfUre frfFk %

GSTR–5 में विवरण पंचांग मास की समाप्ति के पश्चात 20 दिनों के अन्दर या पंजीकरण की वैध अवधि के अन्तिम दिन के पश्चात 7 दिनों के अन्दर जो भी शीघ्र हो प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

C. C;kt tekuk 'kYd ;k fdlh vU; n; jkf'k dk Hkxrku%

NRTP को CGST अधिनियम के अन्तर्गत या CGST नियमों, 2017 के अन्तर्गत अध्याय विवरणियों के प्रावधानों के अन्तर्गत कर, ब्याज जुर्माना, शुल्क या किसी अन्य देय राशि का भुगतान विवरणी जमा करने की अन्तिम तिथि तक करना होगा।

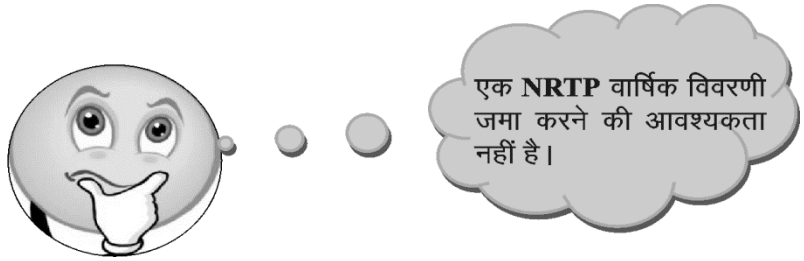

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) dj Hkqxrku gsrq ns; frfFk

GSTR–3, GSTR–4, GSTR–5 जमा करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों के सन्दर्भ में कर भुगतान की देय तिथियाँ इस प्रकार के विवरणियों को जमा करने हेतु देय तिथियों से जुड़ी होती हैं। अर्थात इस प्रकार की विवरणियों को जमा करने की अन्तिम तिथियाँ (देय तिथियाँ) ऐसे विवरणियों को जमा करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों के सन्दर्भ में कर के भुगतान हेतु भी देय तिथियाँ होती हैं।

हालाँकि, अनिवासी करयोग्य व्यक्ति या आकस्मिक करयोग्य व्यक्ति को उस एक अवधि हेतु उस व्यक्ति के अनुमानित कर दायित्व के समान कर की एक राशि के अग्रिम जमा करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए पंजीकरण कराना होता है या पंजीकरण का विस्तारण धारा 27 (2) के अनुसार कराना होता है।

(iv) =fV;k@pwdksa dk lq/kkj **[/kkjk 39 (9)]**

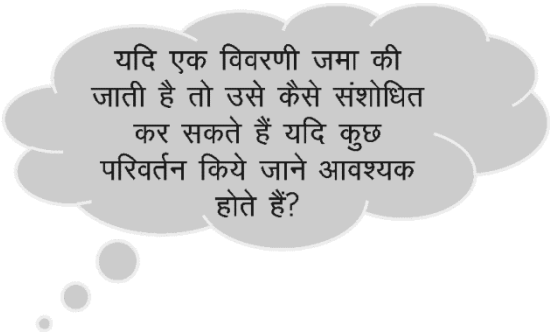

GST में क्योंकि विवरणियाँ स्वतंत्र लेन–देनों के विवरणों से बनती हैं, तो एक संशोधित विवरणी हेतु कोई आवश्यकता नहीं होती एक विवरणी को संशोधित करने की कोई आवश्यकता चालानों या जमा/नामे पत्रों के एक समूह को परिवर्तन करने की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हो सकती है। पहले से ही जमा की गई विवरणी को संशोधित करने के बजाय प्रणाली उन सौदों के विवरण को परिवर्तन करने की अनुमति देती है (चालान या नामे/जमा पत्र) जो संशोधित करने आवश्यक हैं। उन्हें उन सारणियों में भावी GSTR–1/2 में से किसी में भी संशोधित किया जा सकता है जिन्हें विशिष्ट रूप से पूर्व में घोषित विवरणों के संशोधन करने के उद्देश्यों हेतु प्रदान किया गया है।

धारा 39 के अन्तर्गत जमा की गई विवरणियों में पाये गये चूक या अशुद्ध विवरण उस महीने/तिमाही हेतु जमा की जाने वाली विवरणी में सुधार किये जा सकते हैं, जिनके दौरान ऐसे चूक या अशुद्ध विवरणों पर ध्यान दिया गया। इस प्रकार की त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप देय कोई कर ब्याज सहित भुगतान करना आवश्यक होगा।

vokn

यह ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है कि धारा 39 (a) कर प्राधिकारियों द्वारा छानबीन, अंकेक्षण, जाँच या दबाव गतिविधियों के कारण पाये गये त्रुटि या चूक के सुधार की अनुमति नहीं देती है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

इसलिए, निर्धारिती उपर्युक्त उल्लिखित स्थितियों में से किसी के अनुसरण के कारण उसके द्वारा किये गए कर भुगतानों के सन्दर्भ में प्रापक को ITC हस्तांतरित करने के योग्य नहीं हो सकता है।

l/kkj dju gsrq le; lhek

अधिकतम समय सीमा जिसके अन्तर्गत त्रुटियों/चूकों का सुधार स्वीकृत होता है, निम्न तिथियों में से शीघ्रातिशीघ्र तिथि होती है।

- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आने वाले सितम्बर की समाप्ति पर सितम्बर के महीने हेतु तिमाही विवरणी जमा करने की देय तिथि [अर्थात आगामी वित्तीय वर्ष की 20 अक्टूबर] या
- उपयुक्त वार्षिक विवरणी जमा करने की वास्तविक तिथि

वार्षिक विवरणी जमा करने की अन्तिम तिथि आगामी वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर होती है। इसलिए, यदि वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक विवरणी 20 अक्टूबर, 2018 के पूर्व जमा की जाती है, तो वित्तीय वर्ष 2017-18 से सम्बन्धित विवरणियों में त्रुटियों चूकों का कोई भी सुधार उसके पश्चात स्वीकृत नहीं होगा।

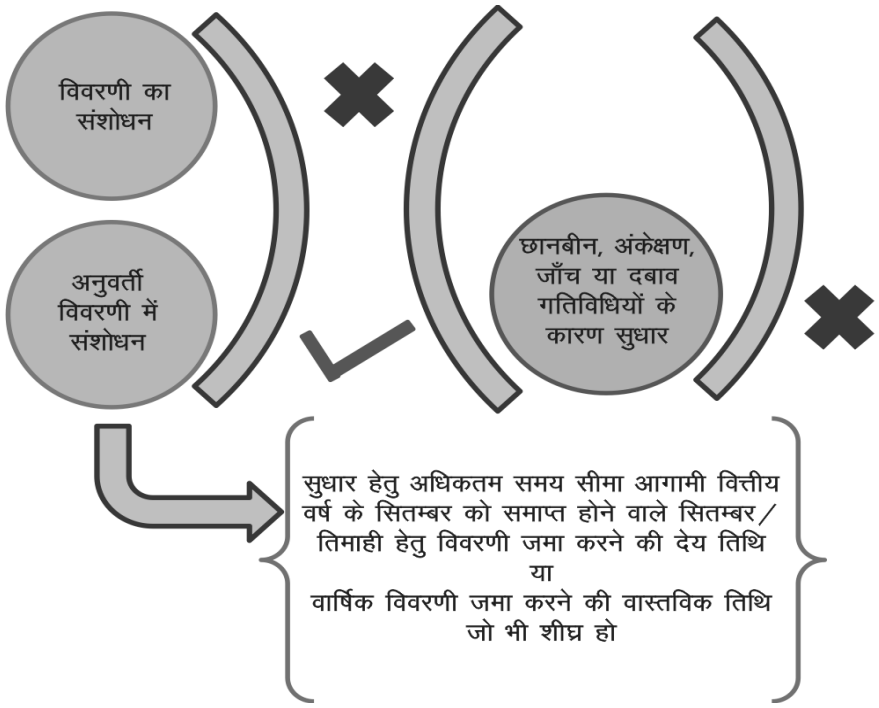

☺ करदाता को प्रस्तुत की गई विवरणियों को इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने होंगे अन्यथा वह बिना दायर किए माने जाएंगे।

☺ करदाता विवरणियों पर हस्ताक्षर DSC (सभी प्रकार की कंपनी तथा LLPs के लिए आवश्यक), ई–हस्ताक्षर (आधार पर आधारित OTP सत्यापन), या EVC (अधिकृत

© The Institute of Chartered Accountants of India

हस्ताक्षरक द्वारा पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा गया इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड) द्वारा करेंगे।

5. vU; fooj.kh (Other Returns)

(i) i:Fke fooj.kh [/kkjk **40]** First Return [Section 40]

जब एक व्यक्ति अपनी कुल बिक्री ₹ 20 लाख (विशिष्ट श्रेणी के राज्यों की स्थिति में ₹ 10 लाख) की सीमा रेखा को पार करने के पश्चात पंजीकरण के योग्य बनाता है, तो वह ऐसे योग्य बनने के 30 दिनों के अन्दर पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकता है। इसलिए एक व्यक्ति के पंजीकरण हेतु योग्य बनने तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र मिलने के मध्य एक समय अन्तराल हो सकता है।

अन्तस्थ अवधि के दौरान, ऐसे व्यक्ति द्वारा जावक पूर्तियाँ की जा सकती हैं अर्थात् पंजीकरण हेतु योग्य बनने के पश्चात लेकिन पंजीकरण का प्रमाण पत्र मिलने के पूर्व। अब ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को पंजीकरण हेतु योग्य बनने की तिथि से पंजीकरण के अनुदत्त तक की तिथि के मध्य अवधि हेतु उसके द्वारा की गई कराधीन पूर्तियों की घोषणा करने हेतु योग्य बनाने के लिए, जिससे कि इन पूर्तियों पर प्रापक द्वारा ITC प्राप्त की जा सके, पहले पंजीकृत व्यक्ति पंजीकरण के प्रमाण पत्र के निर्गमन की तिथि से 1 महीने के अन्दर कथित अवधि के दौरान पहले से निर्गमित चालानों के प्रति संशोधित कर चालानों को निर्गमित कर सकता है। [धारा 31 (3) (a) CGST नियमों, 2017 के नियम 53 सहित पढ़ें' अध्याय 8– कर चालान, नामे एवं जमा पत्रों में विस्तृत रूप से वर्णित]। इसके अतिरिक्त धारा 40 प्रावधान करती है कि पंजीकृत व्यक्ति कथित अवधि के दौरान की गई अपनी जावक पूर्तियों के विवरण पंजीकरण पूर्ण होने के पश्चात अपने द्वारा प्रस्तुत प्रथम विवरणी में घोषित करेगा। इस विवरणी हेतु प्रारूप उसी के समान है, जैसा कि नियमित विवरणी हेतु है।

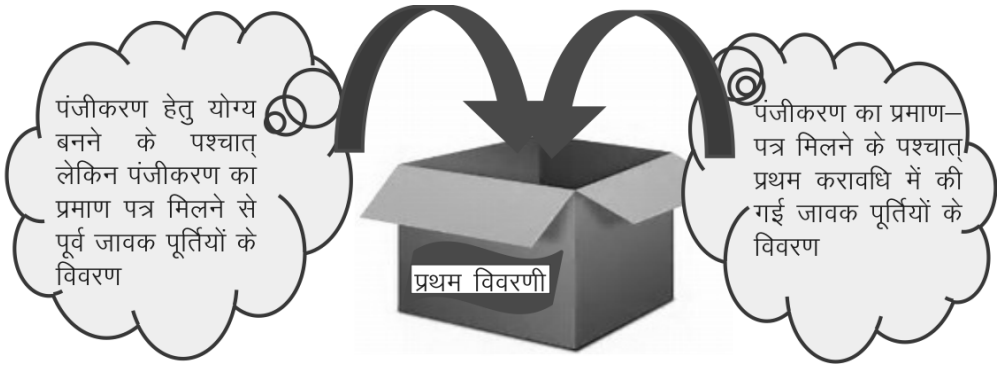

(ii) okf"kd fooj.kh ¼/kkjk **44**½ [Annual Return (Section 44)]

(a) dku okf"kd fooj.kh i:Lr:r dju gr| vif{kr g rFkk n; frfFk D;k g\ ¼/kkjk **44 (1)** fu;e **80** lfgr i<½

GSTR–1 से GSTR–3 में विवरणी प्रस्तुत करने वाले सभी करदाताओं को वार्षिक विवरणी जमा करना आवश्यक होता है। हालाँकि, अग्र व्यक्ति वार्षिक विवरणी जमा करने हेतु अपेक्षित नहीं है :

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) आकस्मिक कराधीन व्यक्ति

(ii) अनिवासी कराधीन व्यक्ति

(iii) निविष्टि सेवा वितरक[1] तथा

(iv) धारा 51/52[2] के अन्तर्गत स्रोत पर कर घटाने/संग्रहीत करने हेतु अधिकृत व्यक्ति

;g fooj.kh vkxkeh foÙkh; o"kZ dh 31 fnlEcj rd tek djuk vko';d gksrk gSA

(b) okf"kZd fooj.kh gsrq fuEnf"V ik:i D;k gS\ ¼/kkjk **44 (1)** fu;e **80 (1)** lfgr i<sks½

okf"kZd fooj.kh lkekU; ikVZy dh ek/;e ls QkeZ **GSTR–9** esa byDVªkfud :i ls tek djuh gksrh gSA

lªkVu ;kstuk foØsrk : संघटन योजना के अन्तर्गत कर भुगतान करने वाले एक व्यक्ति को फार्म GSTR–9A में वार्षिक जमा करना आवश्यक होता है।

(c) leUo;u fooj.k iLrqr djuk fdls vko';d gS\ ¼/kkjk **44 (2),** /kkjk **35 (5)** ,oa fu;e **80 (B)** lfgr i<sks½

धारा 35 में खातों तथा अभिलेखों[3] से सम्बन्धित प्रावधान शामिल हैं।

धारा 35 की उप–धारा (5), CGST नियमों 2017 के नियम 80 तथा धारा 94 (2) सहित पढ़ने पर निम्न प्रकार से निर्दिष्ट करती है :

(i) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति के अपने खाते एक चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट या एक कॉस्ट एकाउण्टेण्ट से अंकेक्षण कराने चाहिए यदि वित्तीय वर्ष के दौरान उसकी सम्पूर्ण कुल बिक्री ₹ 2 करोड़ से अधिक हो तो।

(ii) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में वार्षिक विवरणी के साथ ही निम्न की एक प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होता है:

- ❑ अंकेक्षित वार्षिक खाते
- ❑ निर्दिष्ट प्रारूप में उचित रूप से प्रमाणित एक समन्वयन विवरण

समन्वयन विवरण अंकेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों एवं निर्दिष्टानुसार अन्य विवरणों के साथ वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी में घोषित पूर्तियों की कीमत का समन्वयन करेगा।

---

[1] निविष्टि सेवा वितरक की अवधारणा अन्तिम स्तर पर चर्चित की जाएगी।

[2] TDS कटौतीकर्ता TCS संग्रहक की अवधारणा अंतिम स्तर पर चर्चित की जाएगी।

[3] 'खातों एवं अभिलेखो' से सम्बन्धित प्रावधान अंतिम स्तर पर चर्चित किए जाएंगें।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) vfre fooj.kh ¼/kkjk **45**½ [Final Return (Section 45)]

(a) okf"kd fooj.kh iLrqr djus gsrq dkSu vf{kr gS\ ¼/kkjk **45** fu;e **81** lfgr i<+½

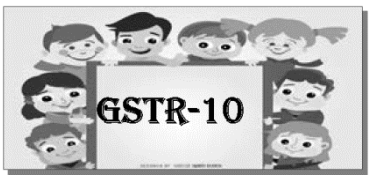

प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसे धारा 39(1) के अन्तर्गत विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक हो तथा जिसका पंजीकरण अध्यर्पित या निस्तारित हो गया हो, सामान्य पोर्टल के माध्यम से फार्म GSTR–10 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतिम विवरणी जमा करेगा।

(b) vfre fooj.kh iLrqr djus dh le;&lhek D;k gS\ ¼/kkjk **45**½

अंतिम विवरणी निम्न के तीन महीनों के अन्तर्गत जमा की जानी होती है

(i) निस्तारण की तिथि या

(ii) निस्तारण के आदेश की तिथि

जो भी बाद में हो।

(iv) **UIN** ikIr 0;fDr;ksa }kjk dh xbZ Hkhrjh vkiwfr;ksa dh tkudkfj;k¡ **[CGST** vf/kfu;e] **2017** dk fu;e **82]** [Details of inward supplies of persons having UIN (Rule 82 of CGST Rules, 2017)]

(a) 0;fDr }kjk dh xbZ Hkhrjh vkiwfr;ksa ij dj okilh dh ekax ds fy, **UIN** tkjh gksuk (UIN issued for claiming refund of taxes paid on his inward supplies of a person)

कथित व्यक्ति को वापसी माँग के आवेदन के साथ उन सभी कराधीन माल तथा/या सेवाओं की भीतरी आपूर्तियों की जानकारियाँ जमा करनी होगी जिसपे वह फॉर्म GSTR-11 में कर वापसी की माँग कर रहा है।

(b) dj Hkqxrku dh okilh ds vfrfjDr fdlh vU; mnns'; ds fy, **UIN** tkjh gksuk (UIN issued for purposes other than refund of taxes paid)

कथित व्यक्ति कराधीन माल तथा/या सेवाओं पर उचित अफसर द्वारा माँगी गई भीतरी आपूर्तियों की जानकारियाँ फॉर्म GSTR-11 में जमा करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. fooj.kh iLrr dju e pd [/kkjk **46** rFkk **47]** [Default in Furnishing Return (Sections 46 & 47)]

(i) fooj.kh pd drkvk dk prkouh ¼/kkjk **46,** /kkjk **52** ,o fu;e **68** lfgr i<½

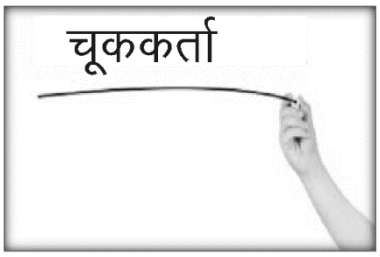

निर्दिष्ट प्रारूप में एक चेतावनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से, एक पंजीकृत व्यक्ति को निर्गमित की जाएगी, जो धारा 39 सामान्य विवरणी या धारा 44 (वार्षिक विवरणी) या धारा 45 (अंतिम विवरणी) या धारा 52 (TCS विवरणी) के अन्तर्गत विवरणी प्रस्तुत करने में असफल होता है। यह चेतावनी ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को 15 दिनों के अन्दर यह विवरणी प्रस्तुत करने हेतु उसे आवश्यक करेगा।

(ii) fooj.kh iLrr dju e njh gr foyc 'kYd yxkuk ¼/kkjk **47 (1)**½

कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो देय तिथि तक निम्न को प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है :

(A) जावक पूर्तियों का विवरण (धारा 37)

(B) विवरणियाँ (धारा 39)

(C) अंतिम विवरणी (धारा 45)

एक विलंब शुल्क का भुगतान करेगा।

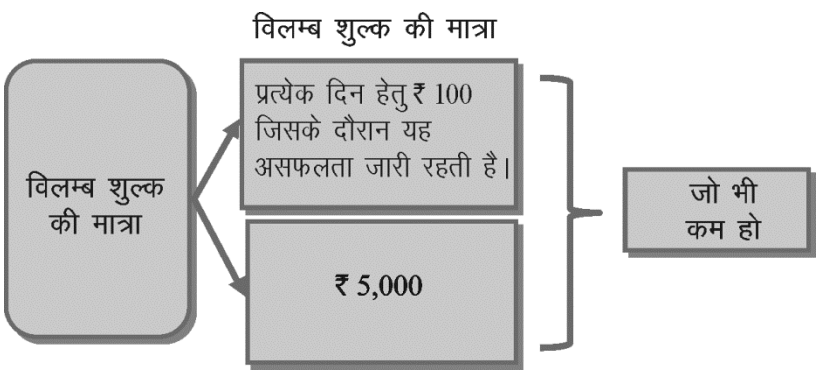

(iii) okE"kd fooj.kh tek dju e njh gr foyc 'kYd yxkuk ¼/kkjk **47 (2)**½

कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो देय तिथि तक वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने में असमर्थ होता है, विलम्ब शुल्क का भुगतान करने हेतु देय होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

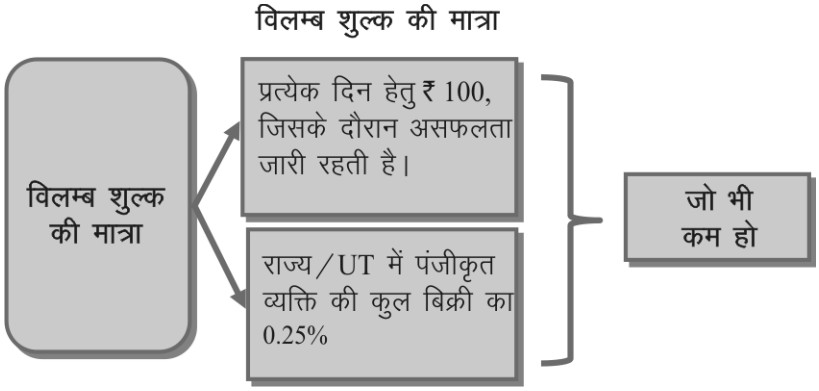

7. eky o lsok dj i:'koj ¼/kkjk 48½ [Goods and Service Tax Practitioners (Section 48)]

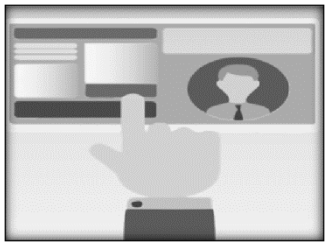

धारा 48 अनुमोदित माल एवं सेवा कर (GSTP) पेशेवर के रूप में कार्य करने के लिए एक योग्य व्यक्ति के प्राधिकरण हेतु प्रावधान करती हैं। एक पंजीकृत व्यक्ति, एक अनुमोदित GSTP को अपनी ओर से सरकार को सूचना प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर सकता है। GSTPs, उनकी योग्यता शर्तों, कर्तव्यों एवं बाध्यताओं तथा उनके कार्य निष्पादन हेतु उपयुक्त अन्य शर्तों के अनुमोदन की विधि CGST नियमों, 2017 के नियमों 83 तथा 84 में निर्दिष्ट की गई है।

GSTN, GSTP को पृथक प्रयोक्ता पहचान तथा संकेत–शब्द प्रदान करेगा जिससे वह अपने मुवक्किलों की ओर से उनके प्रयोक्ता पहचान तथा संकेत शब्दों को पूछे बिना ही कार्य करने के लिए योग्य बन सके। वे करदाताओं की ओर से सभी कार्य कर सकते हैं जैसा कि GST अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत हैं। एक करदाता पूर्व GSTP का साधारण रूप से अचुनाव करने तथा फिर GST पोर्टल पर एक नये GSTP का चुनाव करने के द्वारा एक भिन्न GSTP को चुन सकता है।

GSTP के रूप में नामांकन हेतु आवेदन करने नामांकन के प्रमाणपत्र, अयोग्यता हेतु कारण बताएँ चेतावनी नामांकन के आवेदन की अस्वीकृति का आदेश, अनुमोदित GSTPs की सूची, अधिकृत पत्र तथा अधिकार की निर्लिप्तता हेतु GST PCT-1 से GST PCT–5 तक मानकीकृत प्रारूप निर्दिष्ट किये गये हैं।

किसी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में नामांकित एक GSTP अन्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में नामांकित के रूप में माना जाएगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(i) GSTP gsrq ;kX;rk ekunM D;k gS

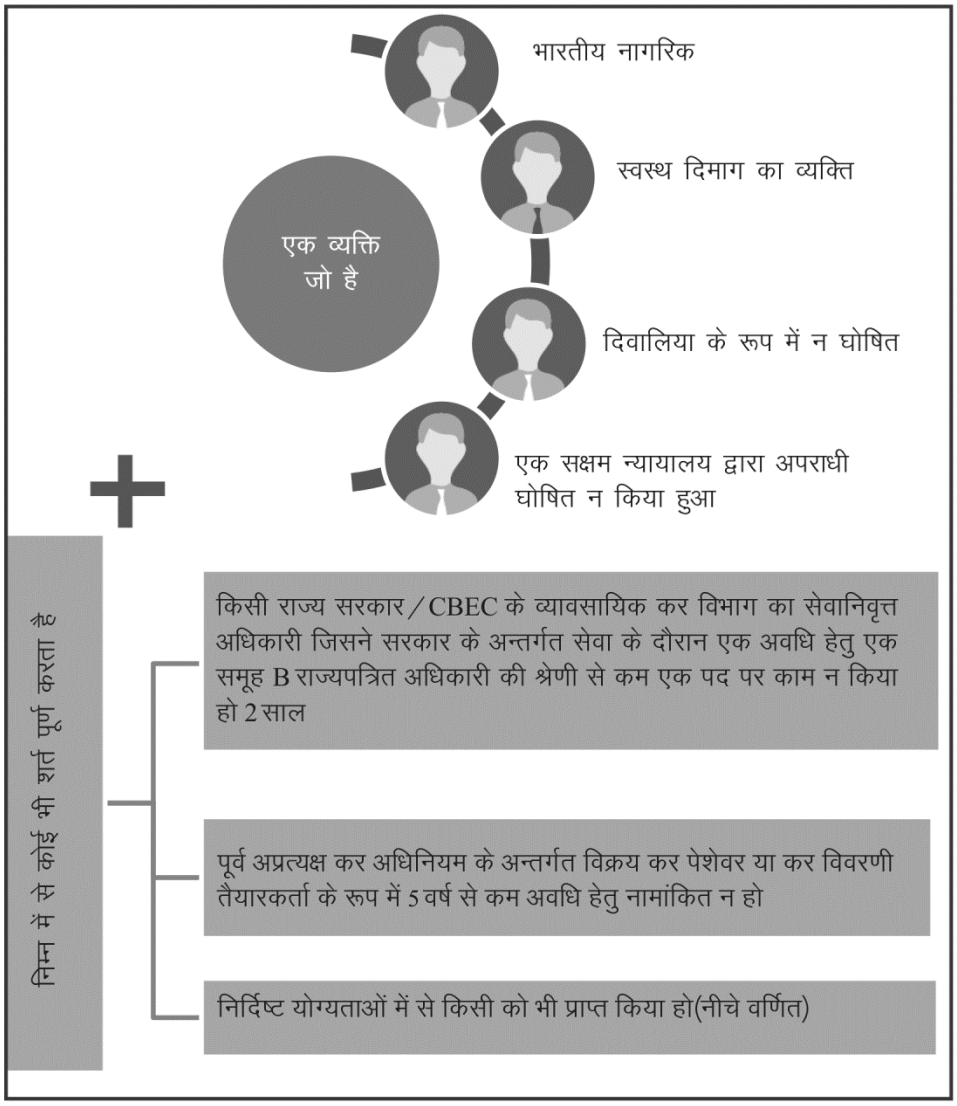

© The Institute of Chartered Accountants of India

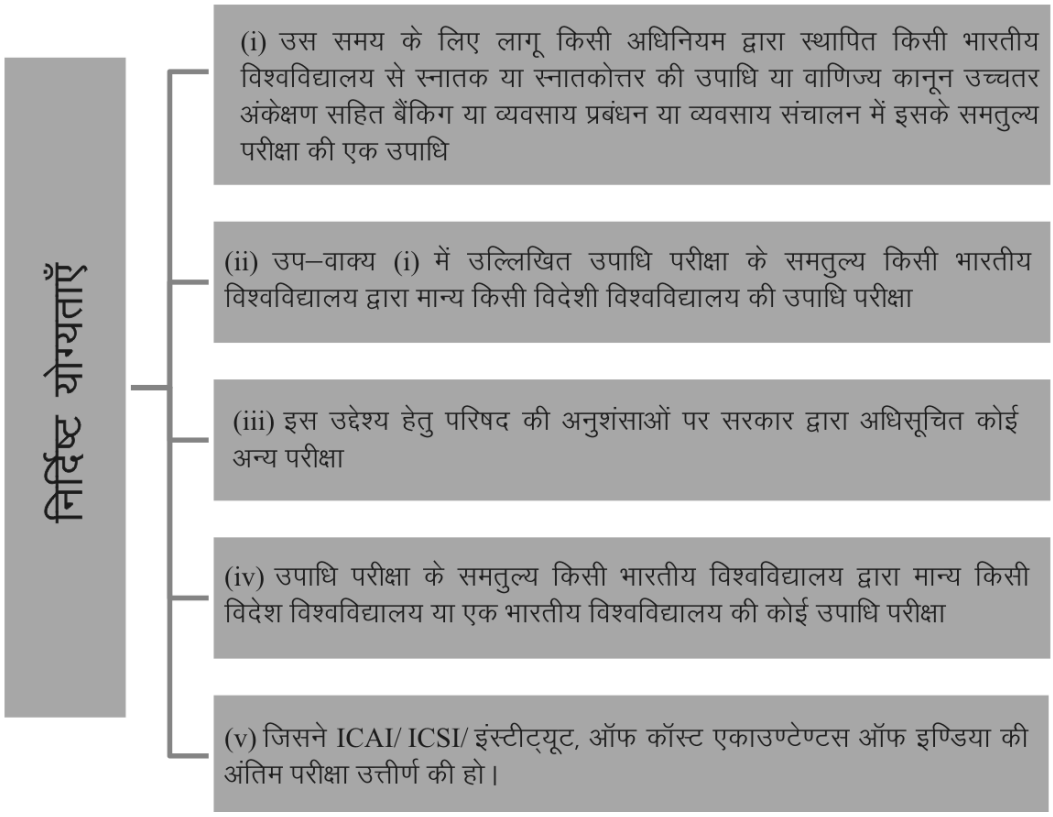

(ii) o D;k xfrfof/k;k g tk ,d **GSTP** }kjk dh tk ldrh g\

एक GSTP पंजीकृत व्यक्ति की ओर से निम्न में से सभी/कोई गतिविधि संपादित कर सकता है, यदि उसके द्वारा इस प्रकार से अधिकृत हो

© The Institute of Chartered Accountants of India

GSTP d ek/;e l foojf.k;k iLrqr djuk % जहाँ एक पंजीकृत व्यक्ति GSTP के माध्यक से अपनी विवरणी प्रस्तुत करने का चुनाव करता है तो ऐसा पंजीकृत व्यक्तिः

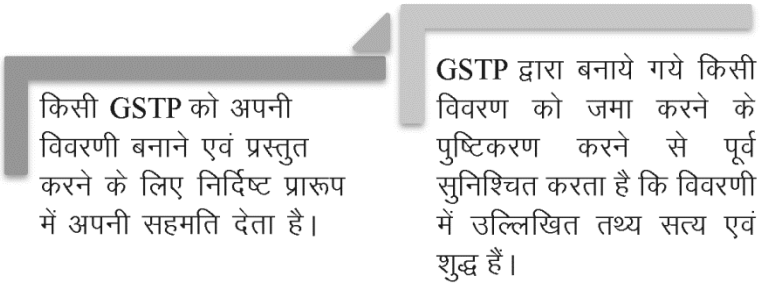

इसलिए, GST पेशेवरों द्वारा जमा किये गए विवरणी या अन्य विवरणों में प्रस्तुत किन्हीं विवरणों की सत्यता हेतु जिम्मेदारी उस पंजीकृत व्यक्ति पर ही रहना जारी रहती है, जिसकी ओर से ये विवरणी एवं विवरण प्रस्तुत किये गये थे।

पुष्टिकरण करने के पूर्व पंजीकृत व्यक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए कि विवरणी में वर्णित तथ्य हस्ताक्षर करने के पूर्व सत्य एवं शुद्ध हों। हालाँकि, पुष्टिकरण हेतु अनुरोध पर प्रतिक्रिया) देने में असफलता अनुमानित पुष्टिकरण के रूप में ही मानी जाएगी।

(iii) vU; fcUnq

- कोई भी पंजीकृत व्यक्ति निर्दिष्ट प्रारूप में एक GST पेशेवर को अधिकृत कर सकता हैं एवं अपनी सहमति दे सकता है, उन अधिकृत गतिविधियों को सूचित करने के द्वारा, जिसमें वह GST पेशेवर को अधिकृत करने हेतु अभीष्ट हो।
- एक GSTP को अधिकृत करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को निर्दिष्ट प्रारूप में अधिकृत करना होगा तथा GST पेशेवर को उसी प्रारूप में के भाग B में अधिकरण को स्वीकार करना होगा।
- GST पेशेवर को सिर्फ उन्हीं कार्यों को करने हेतु स्वीकृति दी जाएगी जो निर्दिष्ट प्रारूप में सूचित हैं। पंजीकृत व्यक्ति किसी भी समय, निर्दिष्ट प्रारूप में इस अधिकरण को निर्लिप्त कर सकता है।
- GST पेशेवर द्वारा प्रस्तुत कोई भी विवरण पंजीकृत व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा। GST पेशेवर द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक विवरण हेतु एक पुष्टिकरण पंजीकृत व्यक्ति से ई मेल या SMS द्वारा माँगा जायेगा।
- GST पेशेवर सभी विवरणों को उचित तत्परता से तैयार करेगा तथा अपने द्वारा तैयार विवरणों पर अपने अंकीय हस्ताक्षर करेगा या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपने प्रत्यायकों का प्रयोग करके जाँच करेगा।
- यदि GST पेशेवर अवचार का दोषी पाया जाता है, तो उसका नामांकन निस्तारण हेतु दायी होगा। निर्दिष्ट प्रारूप में उसे एक कारण बताओ चेतावनी निर्गमित की जाएगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) GSTP d ik:i e ukekdu gr D;k izfØ;k g\

GSTP के नामांकन हेतु प्रक्रिया निम्न चित्र में वर्णित की गई है :

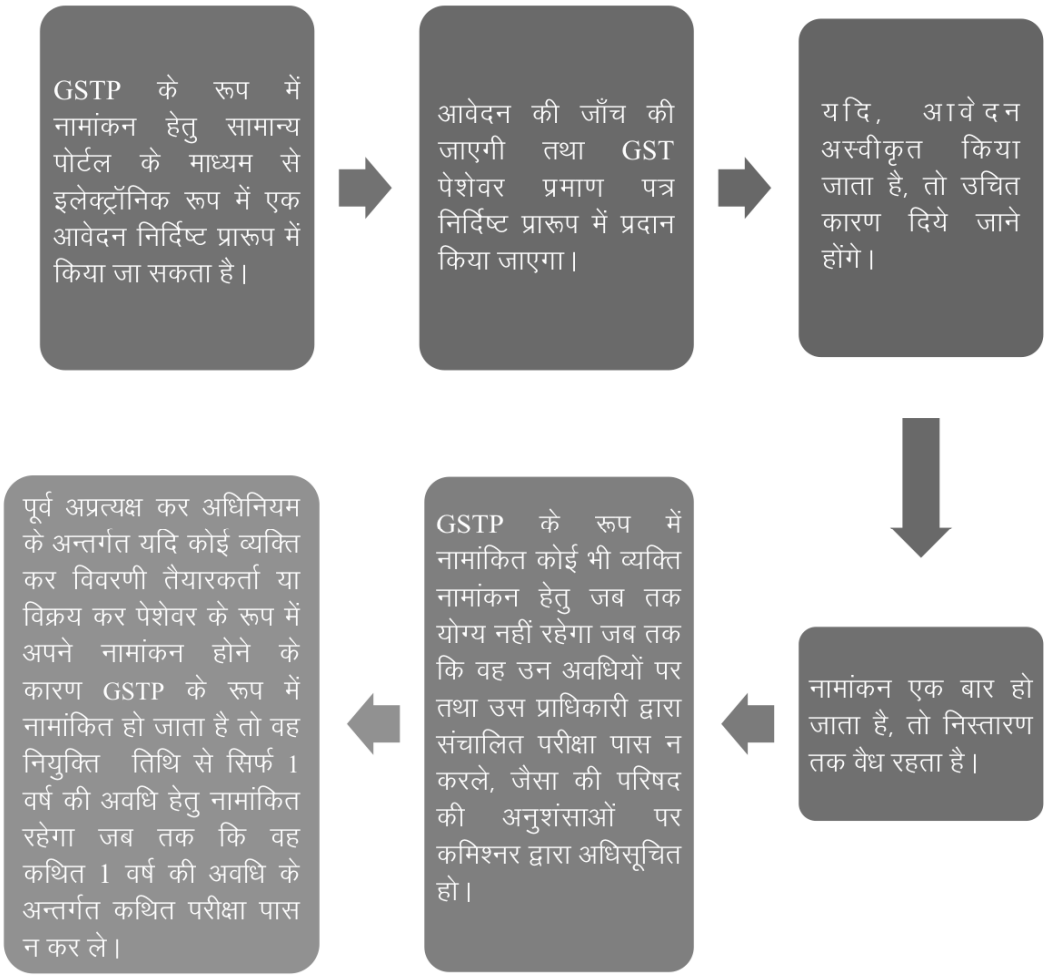

8. iujkofÙk (Let us Recapitulate)

विवरणियों से सम्बन्धित प्रावधान सारणी तथा चित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को याद रखने में सहायता करने तथा प्रावधानों को एक बेहतर तथा प्रभावी विधि से समझने हेतु संक्षेपित किये गए हैं।

1. fooj.kh tek djus dh fof/k

सभी विवरणियाँ ऑनलाइन जमा करनी होती हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

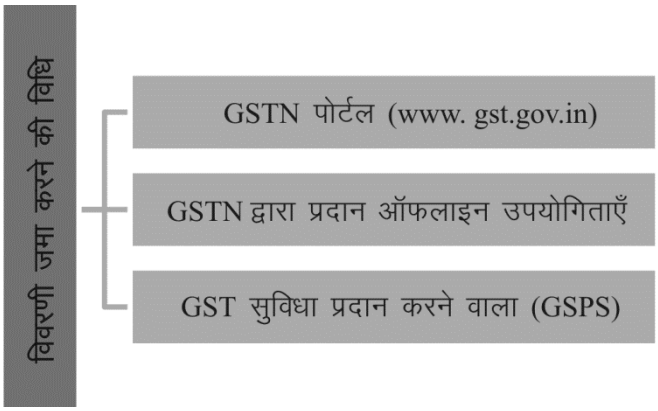

2. GST d vrxZr o.ku@foojf.k;k dh lwph (List of statements/returns under GST)

fooj.k **(Return)**	0;k[;k **(Description)**	dkSu nk;j djxk\ **(Who Files)**	nk;j djus dh frfFk **(Date for filling)**
GSTR-1	माल या सेवाओं की बाहरी आपूर्तियाँ का मासिक वर्णन	पंजीकृत व्यक्ति जिसकी कुल सालाना बिक्री ₹ 1.5 करोड़ से ज्यादा है।	अगले माह की 10 तारीख
	माल या सेवाओं की बाहरी आपूर्तियों का त्रैमासिक वर्णन	पंजीकृत व्यक्ति जिसकी कुल सालाना बिक्री ₹ 1.5 करोड़ तक है।	अगले तिमाही की 10 तारीख
GSTR-3बी	साधारण करदाता का मासिक विवरण	पंजीकृत व्यक्ति	अगले माह की 20 तारीख
GSTR-4	तैमासिक (quarterly) विवरण	संयोजन करारोपण (composition levi) को चुनने वाला पंजीकृत व्यक्ति	उत्तरगामी तिमाही के माह की 18 तारीख
GSTR-5	अनिवासीय करदाता का मासिक विवरण	अनिवासी करदाता	उत्तरगामी कर अवधि के माह की 20 तारीख या पंजीकरण निरस्त होने के 7 दिन के भीतर, जो भी जल्दी हो।
GSTR-9	सालाना विवरण	पंजीकृत व्यक्ति ISD, TDS/TCS करदाता, सामयिक अनिवासीय कर दाता को छोड़कर	अगले वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर
GSTR-10	अंतिम विवरण	करयोग्य व्यक्ति जिसने पंजीकरण परित्याग या रद्द करा हो।	रद्द करने की तिथि या रद्द करने की आदेश तिथि से 3 महीने के भीतर जो भी बाद में हो।

© The Institute of Chartered Accountants of India

3. Hkqxrku dh n; frfFk

GST के भुगतान की देय तिथि

- प्रत्येक महीने की 20वीं तिथि पर या उससे पूर्व भुगतान किया जाना चाहिए

4. okf"kd foj.kh

वार्षिक विवरणी

यह विवरणी आगामी वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक जमा किया जाना आवश्यक है।

इस विवरणी में, करदाता को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु आय एवं व्यय के विवरणी को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।

5. foojf.k;ksa dk l'kks/ku

त्रुटियों/चूकों के किसी सुधार हेतु संशोधित विवरणियाँ जमा करने की कार्य प्रणालियाँ हटा दी गई हैं।

त्रुटियों/चूकों के। सुधार की अनुवर्ती विवरणियों में अनुमति दी गई है।

हालांकि, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात आने वाले सितम्बर के महीने हेतु विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात, जिससे ये विवरण सम्बन्धित है या यथोचित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के पश्चात, जो भी शीघ्र हो, किसी सुधार की अनुमति नही दी जाएगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. foojf.k;k l lEcfU/kr nM lEc/kh iko/kku

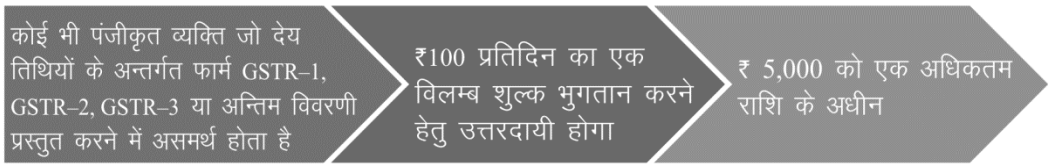

9. vkid Kku dk ijh{k.k (Test Your Knowledge)

1. फार्म GSTR–1 में जावक पूर्तियों के विवरण प्रस्तुत करने हेतु कौन अपेक्षित है?
   (a) संघटन योजना के अन्तर्गत कर भुगतान करने वाला व्यक्ति
   (b) अनिवासी कर योग्य व्यक्ति
   (c) दोनों (a) व (b)
   (d) उपर्युक्त में से कोई नहीं
2. HSN में N का क्या तात्पर्य है?
   (a) नेटवर्क
   (b) राष्ट्रीयकरण
   (c) नामावली
   (d) नामांकन
3. धारा 37 के अन्तर्गत जावक पूर्तियों के विवरणों को जमा करने हेतु कौन–सा फार्म प्रस्तुत किया जाता है?
   (a) GSTR–1
   (b) GSTR–2
   (c) GSTR–3
   (d) GSTR–5
4. मासिक रूप से GSTR–1 जमा करने हेतु देय तिथि क्या है?
   (a) तत्काल अनुवर्ती मास की 10 वीं तिथि या उससे पूर्व
   (b) तत्काल अनुवर्ती मास की 15 वीं तिथि या उससे पूर्व
   (c) तत्काल अनुवर्ती मास की 17 वीं तिथि या उससे पूर्व
   (d) तत्काल अनुवर्ती मास की 20 वीं तिथि या उसके पूर्व
5. संघटित करदाता को फार्म संख्या ––में विवरणी जमा करना आवश्यक होता है–
   (a) GSTR–2
   (b) GSTR–3
   (c) GSTR–4
   (d) GSTR–5

© The Institute of Chartered Accountants of India

6. निम्न में से किसे वार्षिक विवरणी जमा करने की आवश्कता नहीं होती?
   (a) निविष्टि सेवा वितरक
   (b) आकस्मिक कराधीन व्यक्ति
   (c) अनिवासी करदाता
   (d) उपर्युक्त सभी
7. देय तिथि तक GSTR–3 प्रस्तुत करने में असमर्थ होने पर किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय विलंब शुल्क की अधिकतम राशि है ₹–––
   (a) 1,000
   (b) 5,000
   (c) 10,000
   (d) 25,000
8. अन्तिम विवरणी जमा करने की देय तिथि है––?
   (a) आगामी मास की 20 वीं तिथि
   (b) तिमाही के अनुवर्ती महीने की 18वीं तिथि
   (c) निस्तारण की तिथि के तीन महीनों के अन्तर्गत या निस्तारण के आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो
   (d) आगामी वित्तीय वर्ष का 31 दिसम्बर
9. MR. X, एक संघटित करदाता,ने तिमाही जुलाई–सितम्बर के दौरान कोई कराधीन पूर्ति नहीं की। क्या उसे कोई माल एवं सेवा कर विवरणी जमा करने की आवश्यकता है?
10. यदि एक विवरणी जमा की गई है, तो उसे कैसे संशोधित किया जा सकता है यदि कुछ परिवर्तनों को करने की आवश्यकता होती है?

10. mÙkj@lanHkZ (Answer/Hints)

1. (d) **2.** (c) **3.** (a) **4.** (a) **5.** (c) **6.** (d) **7.** (b)

8. (c)

9. संघटित करदाता को धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक तिमाही हेतु विवरणी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है भले ही उस अवधि के दौरान कोई पूर्तियाँ प्रभावित न हुई हों। अन्य शब्दों में शून्य विवरणी जमा करना भी अनिवार्य है। इसलिए Mr. X को तिमाही विवरणी जमा करने की आवश्यकता है भले ही उन्होंने तिमाही जुलाई–सितम्बर के दौरान कोई कराधीन पूर्ति न की हो।

10. GST में क्योंकि विवरणियाँ स्वतंत्र सौदों के विवरणों से बनती है, एक संशोधित स्वतंत्र विवरणी की कोई आवश्यकता नहीं होती। एक विवरणी को संशोधित करने की आवश्यकता चालानों के एक संमूह या नामे/जमा पत्रों को परिवर्तन करने की आवश्यकता के कारण उत्पन्न हो सकती है। पहले से ही जमा की गई विवरणी को संशोधित करने के वजाय प्रणाली उन सौदों के विवरणों को परिवर्तन करने की अनुमति देती है (चालानों या

© The Institute of Chartered Accountants of India

नामे/जमा पत्र) जो संशोधित किये जाने हेतु आवश्यक है। वे उन सारणियों में भावी GSTR–1/2 में से किसी के भी लिए संशोधित किये जा सकते है जिन्हें विशिष्ट रूप से पूर्व में घोषित विवरणों को संशोधित करने के उद्देश्यों के हेतु प्रदान किया गया है।

धारा 39 (9) के अनुसार, धारा 39 के अन्तर्गत जमा की गई विवरणियों में पाये गये चूकों व अशुद्ध विवरणों का सुधार उस महीने/तिमाही हेतु जमा की जाने वाली विवरणी में किया जा सकता है, जिसके दौरान इन चूकों या अशुद्ध विवरणों पर ध्यान दिया गया। ऐसी त्रुटि या चूक के परिणामस्वरूप देय कोई कर ब्याज सहित भुगतान किया जाना आवश्यक होगा। त्रुटि/चूकों का सुधार GSTR–1 एवं GSTR–2 में शामिल "संशोधन सारणियों" में उपयुक्त विवरणों की प्रविष्टि द्वारा किया जाता है।

Note

ikB; lkexh viu fo'y"k.k }kjk vuqlj.k fd;s x, o/kkfud iko/kuksa dk iFke mökj.k djus d }kjk GST अधिनियम को स्पष्ट करने की एक व्यवस्थित पद्धति का अनुकरण करती है। विद्यार्थी ध्यान दें कि वे प्रावधानों जो पाठ्क्रम का भाग नहीं है, इन वैधानिक प्रावधानों में शामिल नहीं किये गए है। ऐसे शामिल न किए गए प्रावधान या तो पूर्ण धाराएँ या नियम या धाराओं/नियमों की उप–धाराएँ/उपनियम हो सकते हैं।

हालाँकि, जहाँ एक धारा/नियम को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, लेकिन उसके अन्य विषयों के अतिरिक्त उस अन्य धारा/नियम का सन्दर्भ संलग्न है जिसे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया, तो सम्पूर्ण धारा वैधानिक प्रावधानों में दी गई है अर्थात् वैधानिक प्रावधानों को देते समय शामिल न किए गए धारा के सन्दर्भ को हटाया नहीं गया है। धारा का विश्लेषण करते समय, हालाँकि, केवल यथोचित भाग ही विस्तृत रूप में वर्णित किया गया है।

इस अध्ययन सामग्री में GST कानून पर परिचर्चा के लिए CBIC द्वारा अपनी बेवसाइट www.cbic.gov.in में डाले गए सारांश तथा चित्र लिए गए हैं जैसे कि GST पर FAQs, GST पर विभिन्न दृष्टिकोण के लिए जारी e-flyers, sectoral FAQs तथा GST के कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in, पर उपलब्ध उपयोगकर्ता पुस्तिका तथा FAQs, जो इस परिचर्चा के लिए आवश्यक हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India